

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
(2022-2023)
(सत्रहवीं लोक सभा)

अस्सीवा प्रतिवेदन
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(औषध विभाग)
से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा

09/02/ 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
फ़रवरी ,2023/ माघ 1944 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

I.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) की संरचना	iii
II.	प्राक्कथन	iv
	प्रतिवेदन	
I.	प्रस्तावना	1-5
II.	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा	5-9
III.	कार्यान्वयन रिपोर्ट	10
	परिशिष्ट	
I.	भारत सरकार में पद्धति और प्रक्रिया नियमावली, संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, से उद्धरण	11-16
II.	'विटामिनो और शक्तिवर्धक औषधियों का बाजार' विषय संबंधी दिनांक 25.04.2013 का अता.प्र.सं. 5025	17
III.	'एपीआई का विनिर्माण' विषय संबंधी दिनांक 25.11.2014 का अता.प्र.सं. 299	18
IV.	'भेषज कंपनियों की विपणन पद्धतियां' विषय संबंधी दिनांक 04.08.2015 का ता.प्र.सं. 205	19-20
V.	'भेषज कंपनियों की विपणन पद्धतियां' विषय संबंधी दिनांक 04.08.2015 का ता.प्र.सं. 205 (कुमारी शोभा कारान्दलाजे, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	21-25
VI.	'मंहगी दवाओं के व्यापार लाभ की सीमा तय करना' विषय संबंधी दिनांक 26.04.2016 का अता.प्र.सं. 235	26
VII.	'अनुचित प्रथाएं' विषय संबंधी दिनांक 06.12.2016 का अता.प्र.सं. 3383	27

VIII.	'भेषज क्षेत्र' विषय संबंधी दिनांक 07.02.2017 का अता.प्र.सं. 743	28
IX.	'नई औषधि नीति' विषय संबंधी दिनांक 18.07.2017 का अता.प्र.सं. 249	29
X.	'अनुसंधान और विकास व्यय' विषय संबंधी दिनांक 19.11.2019 का अता.प्र.सं. 248	30-35
XI.	'एनआईपीईआर की स्थापना' विषय संबंधी दिनांक 04.02.2020 का ता.प्र.सं. 231	36
XII.	'कर्नाटक में एन.आई.पी.ई.आर' विषय संबंधी दिनांक 04.02.2020 का अता.प्र.सं. 452	37
XIII.	'नई औषधियों का अनुसंधान और विकास' विषय संबंधी दिनांक 20.09.2020 का ता.प्र.सं. 1457	38-39
XIV.	'जीवन रक्षक औषधियां' विषय संबंधी दिनांक 09.03.2021 का अता.प्र.सं. 2314	40-41
XV.	'पी.पी.डी. योजना' विषय संबंधी दिनांक 16.03.2021 का अता.प्र.सं. 3313	42
XVI.	'चिकित्सा उपकरण पार्क' विषय संबंधी दिनांक 10.08.2021 का अता.प्र.सं. 3567	43
XVII.	'राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा' विषय पर श्री टी.आर. बालू, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 06.12.2021 को सामान्य चर्चा	44-65
XVIII	समिति (2021-22) की 23.08.2022 की बैठक का कार्यवाही सारांश	66-70
XIX	समिति (2021-22) की 07.02.2023 की बैठक का कार्यवाही सारांश	71-72
XX	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) की संरचना	73

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति* (2022-2023)

की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

-

सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री गौरव गोगोई
4. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार
6. श्री खगेन मुर्मु
7. श्री अशोक महादेवराव नेते
8. श्री संतोष पान्डेय
9. श्री एम.के. राघवन
10. प्रो. सौगत राय
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
13. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
14. रिक्त
15. रिक्त

सचिवालय

- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| 1. श्री जे.एम. बैसाख | - | संयुक्त सचिव |
| 2. डॉ सागरिका दास | - | निदेशक |
| 3. श्री एम. सी. गुप्ता | - | उप सचिव |
| 4. श्रीमती विनीता सचदेव | - | अवर सचिव |

*समिति का गठन 09 अक्टूबर, 2022 से किया गया है, देखिए दिनांक 09 नवम्बर, 2022 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 5363

(ॐ)

प्राक्कथन

में, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का यह अस्सीवा प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2020-2021) ने 23 अगस्त, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में लंबित आश्वासनों के संबंध में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।
3. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) ने 07 फरवरी, 2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।
4. समिति की उपर्युक्त बैठकों के कार्यवाही सारांश इस प्रतिवेदन का भाग हैं।
5. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;

07 फरवरी, 2022

18 माघ, 1944 (शक)

राजेन्द्र अग्रवाल,

सभापति,

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(1)

प्रतिवेदन

एक. प्रस्तावना

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति मंत्रियों द्वारा सभा में समय-समय पर दिए गए आश्वासनों, वचनों, किए गए वादों आदि की जांच करती है और इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है कि ऐसे आश्वासनों, वादों, वचनों आदि को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है। सभा में कोई आश्वासन दिए जाने के पश्चात् उसे तीन महीने के अंदर पूरा करना अपेक्षित होता है। भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग द्वारा आश्वासन को निर्धारित तीन महीने की अवधि के अंदर पूरा करने में असमर्थ रहने की स्थिति में समय-विस्तार की मांग करना अपेक्षित है। जहां मंत्रालय/विभाग किसी आश्वासन को कार्यान्वित करने में असमर्थ हो, वहां उन्हें आश्वासन को छोड़ने के लिए समिति से अनुरोध करना होता है। समिति ऐसे अनुरोधों पर विचार करती है और यदि वह इस बात से संतुष्ट होती है कि बताए गए आधार तर्कसंगत हैं, तो आश्वासन को छोड़ने की स्वीकृति देती है। समिति इस बात की भी जांच करती है कि क्या आश्वासनों का कार्यान्वयन उस प्रयोजनार्थ आवश्यक न्यूनतम समय के अंदर हुआ है अथवा नहीं तथा आश्वासनों को किस सीमा तक पूरा किया गया है।

2. भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका, संसदीय कार्य मंत्रालय से आश्वासनों का रजिस्टर बनाए रखने और आश्वासनों के कार्यान्वयन में देरी को कम करने के लिए आवधिक समीक्षा किए जाने के अलावा आश्वासन की परिभाषा, इसे पूरा करने की समय-सीमा, इसे छोड़ने/इसका लोप करने और समय विस्तार, इसे पूरा करने की प्रक्रिया आदि के संबंध में दिशा निर्देश निर्धारित करने संबंधी उद्धरणों को परिशिष्टि - एक में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

3. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2009-2010) ने लंबित आश्वासनों की समीक्षा करने, लंबित होने के कारणों की जांच करने, आश्वासनों पर कार्रवाई करने हेतु मंत्रालयों/विभागों में निर्धारित प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को चरणबद्ध तरीके से बुलाने का नीतिगत निर्णय लिया। समिति ने सरकार द्वारा कार्यान्वित किये गये आश्वासनों की गुणवत्ता को भी देखने का निर्णय लिया।

4. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2014-15) ने भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को चरणबद्ध तरीके से बुलाने की सुस्थापित और समय की कसौटी पर खरी उतरी प्रक्रिया का पालन करने और लंबित आश्वासनों की समीक्षा करने का निर्णय लिया। समिति ने

एक कदम और बढ़ते हुए संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी बुलाने का निर्णय लिया क्योंकि सभी आश्वासनों का कार्यान्वयन उनके माध्यम से किया जाता है।

5. उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) ने औषध विभाग से संबंधित लंबित आश्वासनों के कार्यान्वयन में विलम्ब के संबंध में स्पष्टीकरण देने हेतु रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) और संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को 23 अगस्त, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में बुलाया। समिति ने निम्नलिखित 16 आश्वासनों (परिशिष्ट दो से सत्रह) की विस्तृत जांच की:-

सारणी एक

क्रम सं	ता.प्र./अता.प्र.सं और दिनांक	विषय
1.	अता.प्र.सं. 5025 दिनांक 25.04.2013	विटामिनों और शक्तिवर्धक औषधियों का बाजार (परिशिष्ट-दो)
2.	अता.प्र.सं. 299 दिनांक 25.11.2014	एपीआई का विनिर्माण (परिशिष्ट-तीन)
3.	ता.प्र.सं. 205 दिनांक 04.08.2015	भेषज कंपनियों की विपणन पद्धतियां (परिशिष्ट-चार)
4.	ता.प्र.सं. 205 दिनांक 04.08.2015 (कुमारी शोभा कारान्दलाजे, संसद सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछा गया)	भेषज कंपनियों की विपणन पद्धतियां (परिशिष्ट-पांच)
5.	अता.प्र.सं. 235 दिनांक 26.04.2016	मंहगी दवाओं के व्यापार लाभ की सीमा तय करना (परिशिष्ट-छह)
6.	अता.प्र.सं. 3383 दिनांक 06.12.2016	अनुचित प्रथाएं (परिशिष्ट-सात)
7.	अता.प्र.सं. 743 दिनांक 07.02.2017	भेषज क्षेत्र (परिशिष्ट-आठ)
8.	अता.प्र.सं. 249 दिनांक 18.07.2017	नई औषधि नीति (परिशिष्ट-नौ)
9.	अता.प्र.सं. 248	अनुसंधान और विकास व्यय

	दिनांक 19.11.2019	(परिशिष्ट-दस)
10.	ता.प्र.सं. 231 दिनांक 04.02.2020	एनआईपीईआर की स्थापना (परिशिष्ट-ग्यारह)
11.	अता.प्र.सं. 452 दिनांक 04.02.2020	कर्नाटक में एन.आई.पी.ई.आर. (परिशिष्ट-बारह)
12.	अता.प्र.सं. 1457 दिनांक 20.09.2020	नई औषधियों का अनुसंधान और विकास (परिशिष्ट-तेरह)
13.	अता.प्र.सं. 2314 दिनांक 09.03.2021	जीवन रक्षक औषधियां (परिशिष्ट-चौदह)
14.	अता.प्र.सं. 3313 दिनांक 16.03.2021	पी.पी.डी. योजना (परिशिष्ट-पंद्रह)
15.	अता.प्र.सं. 3567 दिनांक 10.08.2021	चिकित्सा उपकरण पार्क (परिशिष्ट-सोलह)
16.	श्री टी.आर. बालू, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 06.12.2021 को सामान्य चर्चा	राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधयेक पर चर्चा (परिशिष्ट-सत्रह)

6. मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों का ध्यान उपरोक्त 16 आश्वासनों को पूरा करने में अत्यधिक विलंब की ओर आकर्षित किया, जिनमें से 01 आश्वासन 15वीं लोकसभा से, 07 आश्वासन 16वीं लोकसभा से और 08 आश्वासन 17वीं लोकसभा से संबंधित थे। चूंकि 15वीं लोकसभा और 16वीं लोकसभा से संबंधित आश्वासन बहुत पुराने थे और वे 9 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की अवधि से भी अधिक समय से लंबित थे और इन आश्वासनों को पूरा करने में अत्यधिक विलंब हुआ था, समिति ने संसदीय कार्य मंत्रालय के पद्धति और प्रक्रिया नियमावली में अंतर्विष्ट निर्देशों के अनुपालन में लंबित आश्वासनों को शीघ्र/समय पर कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय में आश्वासनों को कार्यान्वित करने/समीक्षा करने के लिए अपनाई जा रही प्रणाली और उस मंत्रालय के साथ समन्वय के बारे में पूछा। उत्तर में, सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) ने समिति को निम्नानुसार जानकारी दी:

"हमारे विभाग में 16 आश्वासन हैं। हमने इस बैठक की तैयारी भी कर ली है। हम समय-समय पर अधिकारी स्तर पर प्रशासनिक समीक्षा करते हैं और संयुक्त सचिव स्तर पर भी समीक्षा की जाती है। सचिव स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की भी समीक्षा की जाती है। उसके बाद हर आश्वासन का उत्तर दिया जाता है और उसकी कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। जब समय विस्तार का अनुरोध किया जाता है तो इसकी अनुमति हमारे राज्य मंत्री के स्तर पर ली जाती है। तीसरी बात यह है कि जब भी संसद का सत्र शुरू होता है, हम उससे पहले एक बार समीक्षा करते हैं कि संसद सत्र से पहले हम कितनी कार्यान्वयन रिपोर्ट संसद सचिवालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।"

7. जब समिति ने विशेष रूप से लंबित आश्वासनों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठकों की आवृत्ति जानने की इच्छा व्यक्त की, तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग के सचिव ने इस प्रकार कहा कि:-

"वरिष्ठ अधिकारियों की हमारी बैठक (एसओएम) में एक एजेंडा है। जैसे तो वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लगभग हर सप्ताह होती है, लेकिन इस एजेंडे को महीने में एक बार या दो महीने में एक बार विचारार्थ लिया जाता है।"

8. समिति ने यह स्वीकार करते हुए कि मंत्रालय में काफी काम हो रहा है, पूछा कि क्या मंत्रालय के लिए महीने में एक बार संसदीय आश्वासनों से संबंधित एक एजेंडा पर विशेष रूप से कार्यवाही करना संभव होगा, जिसके संबंध में औषध विभाग के सचिव ने सकारात्मक उत्तर दिया। इसके बाद, समिति को अवगत कराया गया कि मंत्रालय ने अपने विभाग के कामकाज के बारे में जानकारी देने हेतु समिति के लिए एक प्रस्तुति तैयार की है। उसके बाद, समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया गया।

9. इसके बाद, संसदीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 14.12.2022 को क्र.सं. संख्या 1, 2, 7, 9, 10, 11, 14 और 15 में उल्लिखित 08 आश्वासनों के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को सदन के पटल पर रखा।

टिप्पणियां/सिफारिशें

10. समिति नोट करती है कि वर्ष 2013 से 2021 की अवधि के दौरान दिए गए मंत्रालय के 16 आश्वासन एक वर्ष से लेकर नौ वर्ष से भी अधिक समय बीतने के बाद भी लंबित थे। मौखिक साक्ष्य के दौरान लिए गए इन 16 लंबित आश्वासनों में से, क्र.सं. 1, 2, 7, 9, 10,

11, 14 और 15 में उल्लिखित 08 आश्वासनों में से कुछ आश्वासन को एक वर्ष में और अन्य आश्वासनों को 09 वर्ष से अधिक की देरी से दिनांक 14.12.2022 को लागू किया गया है। इसके अलावा, क्र.सं. 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13 और 16 में दिए आठ आश्वासन अभी भी एक वर्ष से लेकर सात वर्ष से अधिक की देरी के बाद भी पूरे नहीं किए जा सके। इतनी बड़ी संख्या में आश्वासनों को पूरा करने में अत्यधिक विलंब स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मंत्रालय द्वारा न केवल इन आश्वासनों को उनके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए समुचित ध्यान नहीं दिया गया है बल्कि आश्वासनों के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा स्थापित मौजूदा तंत्र भी काम नहीं कर रहा है। समिति महसूस करती है कि आश्वासन गंभीर संसदीय दायित्व हैं और यदि उनके कार्यान्वयन में लंबे समय तक विलंब होता है तो आश्वासनों का उद्देश्य, उपयोगिता और प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। समिति चाहती है कि मंत्रालय समिति की उपर्युक्त चिंता पर ध्यान दे और मौजूदा तंत्र/निगरानी प्रणाली की समीक्षा और सुव्यवस्थित करना सुनिश्चित करे ताकि आश्वासनों को समय पर पूरा किया जा सके।

लंबित आश्वासनों की संवीक्षा से आगे यह भी पता चलता है कि एक ओर रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) और संसदीय आश्वासनों के लिए नोडल मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय सहित विषय वस्तु से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वय की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप आश्वासनों के कार्यान्वयन में विलंब होता है। विभाग की ओर से ढिलाई इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि विभाग ने साक्ष्य के दौरान सूचित किया कि वे आश्वासनों की समीक्षा करने और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ बातचीत करने या समीक्षा बैठकें करने में विफल रहे। इसलिए, समिति चाहेगी कि विभाग एक सक्रिय रवैया अपनाए और सभी लंबित आश्वासनों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ अपने समन्वय के स्तर को बढ़ाए।

समिति मंत्रालय से यह भी आग्रह करती है कि वह आश्वासनों की निगरानी के लिए समय-समय पर मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठकों का कार्यवृत्त प्रस्तुत करे क्योंकि इससे समिति को आश्वासनों के कार्यान्वयन के संबंध में औषध विभाग की प्रगति का आकलन करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, यह लंबित आश्वासनों की समीक्षा के लिए जवाबदेही उपकरण और उपयोगी दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा।

II. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के लंबित आश्वासनों की समीक्षा

11. आगे आने वाले पैराओं में, समिति रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लंबित आश्वासनों पर चर्चा करती है, जिनकी उनके द्वारा 23.08.2022 को आयोजित अपनी बैठक में गंभीर रूप से जांच/समीक्षा की गई है।

क. महंगी दवाओं के व्यापार लाभ की सीमा तय करना

'महंगी दवाओं के व्यापार लाभ की सीमा तय करना' (क्र.सं. 05) के संबंध में दिनांक 26.04.2016 का अ.ता.प्र. सं. 235

12. दिनांक 26.04.2016 के अ.ता.प्र. संख्या 235 के उत्तर में, मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति ने व्यापार-मूल्य (पीटीटी) के संदर्भ में श्रेणीबद्ध व्यापार मार्जिन का प्रस्ताव किया था। समिति के प्रस्तावों को विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया था और हितधारकों से अपनी टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया था। इन टिप्पणियों की जांच की जाएगी और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

13. अगस्त, 2022 में प्रस्तुत अपने स्थिति संबंधी टिप्पण में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) ने आश्वासन के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत कराते हुए निम्नवत बताया:-

"इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है जिसके लिए विभिन्न उद्योग हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया जा रहा है। वर्तमान में, यह मुद्दा अंतिम चरण में है और जैसे ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा, वैसे ही कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।"

14. मौखिक साक्ष्य के दौरान आश्वासन के कार्यान्वयन पर एक अद्यतन जानकारी देते हुए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के सचिव, ने निम्नानुसार बताया:-

"यह विषय मूल्य निर्धारण से संबंधित है। माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि समिति के प्रस्तावों पर हितधारकों की टिप्पणियों की जांच की जाएगी और उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। महोदय, इस मामले पर विभाग में काफी चर्चा और जांच-पड़ताल हुई। फरवरी 2019 में, प्रयोग के रूप में एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी जिसमें कैंसर की दवाओं पर व्यापार लाभ युक्तिकरण (ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन) लगाया गया था। यहाँ तक कि हमने एक साल तक यह प्रथा चलाई ताकि यह जाना जा सके कि क्या इसके कारण कीमतें कम होती हैं या नहीं। हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। कैंसर की 42 दवाओं के लगभग 526 विभिन्न ब्रांडों की कीमतों में 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की कमी आई है। उस प्रयोग के आधार पर, कोविड के दौरान जब चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में आने वाले ऑक्सीजन कंसट्रेटर की कीमतें भी बढ़ गई थीं,

तो हमने व्यापार लाभ को सीमित करने (ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन) की प्रथा चलाई। उस दौरान इसकी मांग भी काफी बढ़ गई थी। हम इसका आयात भी करते थे। लोग अपने घरों में पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोज मीटर, बीपी मॉनिटर रख रहे थे। पहले ये सब सिर्फ अस्पताल में ही होता था। इसमें भी हमें सकारात्मक परिणाम मिले। इसके बाद, हमने एक प्रयोग के रूप में टीआरएम का उपयोग किया। हमें तीनों प्रयोगों में सकारात्मक परिणाम मिले हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, अब हम कोविड से मुक्त हैं। हमने पिछले 6 महीनों में इस पर काफी काम किया है। हमारे अध्यक्ष ने राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) में बहुत विस्तार से काम किया है। अब इसे हमारे मंत्री जी को प्रस्तुत कर दिया गया है। यह एक नीतिगत निर्णय है। सभी पहलुओं को देखने के बाद नीतिगत निर्णय लिया जाएगा।"

टिप्पणियां/सिफारिशें

15. समिति ने नोट किया है कि सस्ती कीमतों पर औषध/दवाएं उपलब्ध कराने और देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महंगी दवाओं के व्यापार लाभ की सीमा तय करना महत्वपूर्ण है। समिति ने आगे कहा कि मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय समिति ने 2016 में व्यापार-मूल्य (पीटीटी) के संदर्भ में श्रेणीबद्ध व्यापार लाभ का प्रस्ताव दिया था और इस मामले में हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गई थीं। हालांकि, समिति यह जानकर चिंतित है कि यद्यपि उच्च स्तरीय समिति का गठन 2016 में किया गया है, लेकिन मंत्रालय द्वारा महंगी दवाओं के व्यापार लाभ को सीमित करने की दिशा में बहुत कम काम किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल, 2016 की शुरुआत में सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन 6 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अधूरा है। समिति को इस विलंब का कोई व्यावहारिक कारण नजर नहीं आता क्योंकि विभिन्न उद्योग हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया गया है और व्यापार लाभ को सीमित करने हेतु प्रयोग किए गए हैं जिनके परिणाम सकारात्मक रहे। समिति को यह बताया गया है कि कोविड-19 के बाद विशेष रूप से पिछले छह महीनों के दौरान बहुत काम किया गया है और यह मामला अब मंत्री के स्तर पर विचाराधीन है। तथापि, मंत्रालय के प्रतिनिधि कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दे पा रहे हैं जिसके भीतर आश्वासन को पूरा किए जाने की संभावना है क्योंकि उनका कहना है कि इस मुद्दे में एक नीतिगत निर्णय शामिल है जिसके लिए सभी पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। समिति समझती है कि नीतिगत मामलों में समय लगता है और मंत्रालय को इस मुद्दे का संपूर्णता में अध्ययन/जांच करना होता है। तथापि, दवा मूल्य निर्धारण के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अत्यधिक विलंब न तो वांछनीय है और न ही स्वीकार्य है क्योंकि आम आदमी को अधिकतम राहत देने के लिए दवाइयों के

अधिकतम खुदरा मूल्य को कम करने की अनिवार्य आवश्यकता है। समिति ने इस मुद्दे पर उतना महत्व और उचित ध्यान नहीं दिए जाने पर अपनी चिंता व्यक्त की और यह महसूस किया कि मंत्रालय की ओर से समय पर कार्रवाई होने से महंगी दवाओं के लिए व्यापार लाभ के कारण को सीमित करने में मदद मिल सकती थी, जिससे आम नागरिकों जिनके पास महंगी दवाओं और दवाओं तक सीमित पहुंच है, के हितों की रक्षा हो सकती थी। समिति ने संसदीय आश्वासनों को पूरा करने में अनुचित देरी पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए, विशेष रूप से ऐसे समय में जब देश महंगी दवाओं जो बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान करती हैं, की कीमतों के निर्धारण और निगरानी में गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है, मंत्रालय से बिना किसी देरी के महंगी दवाओं के लिए व्यापार लाभ को अंतिम रूप देने के लिए त्वरित कदम उठाने की सिफारिश करती है ताकि ये दवाएं आम आदमी के लिए सबसे सस्ती दरों पर उपलब्ध हो और आश्वासन पूरा हो सके।

ख. नई औषध नीति

'नई औषधी नीति' (क्र.सं. 08) के संबंध में दिनांक 18.07.2017 का अ.ता.प्र. 249

16. उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में, यह कहा गया था कि सरकार एक नई राष्ट्रीय औषध नीति शुरू करने पर विचार कर रही है और इसके ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।
17. आश्वासन को लागू करने के लिए अपने द्वारा किए गए प्रयासों के संबंध में एक जानकारी देते हुए, मंत्रालय ने अगस्त, 2022 में अपने स्थिति टिप्पण में कहा कि उक्त आश्वासन को पूरा करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी क्योंकि नई राष्ट्रीय औषध नीति का मसौदा तैयार करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
18. मौखिक साक्ष्य के दौरान, सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) ने आश्वासन को लागू करने में देरी के कारणों को निम्नवत बताया:-

"इस मामले में हमारा काम रूका हुआ है। हमने समय-विस्तार की मांग की है। यह नई नीति लाने की बात है। हमारे यहां जो औषध नीति है वह वर्ष 2002 की है। प्रश्न यह था कि क्या आप नई नीति लाएंगे। उस समय, वर्ष 2017 में, हमने कहा था कि हम नई नीति के विवरण पर काम कर रहे हैं। मुझे यह प्रारंभिक रूप में भी मिला। हमारे संयुक्त सचिव इस पर काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगले दो से तीन महीनों में हम इसे बनाने में सक्षम होंगे।"

टिप्पणियां/सिफारिशें

19. समिति नोट करती है कि औषधों के मूल्य निर्धारण के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार करने के लिए एक नई राष्ट्रीय औषध नीति की शुरुआत महत्वपूर्ण है ताकि आम जनता को उचित मूल्य पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और दवा उद्योग के विकास में सहयोग देने के लिए नवाचार और प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा सके। तथापि, समिति यह नोट करने के लिए विवश है कि यद्यपि मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि उक्त नीति के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं, फिर भी मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप 18.07.2017 को दिया गया आश्वासन 5 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है। समिति आश्वासन की पूर्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर भी उतनी ही आश्चर्यचकित है जिसमें मंत्रालय ने बताया है कि आश्वासन की विषय वस्तु जो मौजूदा औषध नीति, 2002 के स्थान पर नई नीति लाने से संबंधित है, तथापि, इस मामले पर कार्य रुका हुआ है और इसमें दो या तीन महीने लगेंगे। समिति यह देखकर निराश है कि मंत्रालय ने विषय वस्तु को किस प्रकार से संभाला/कार्रवाई की जिसके कारण आश्वासन बिना किसी निर्धारित कार्रवाई के लंबित है जिससे गरीब और मध्यम वर्ग अत्यधिक पीड़ित हो रहा है। नई राष्ट्रीय औषध नीति की परिकल्पना अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार गंभीर बीमारियों के लिए सस्ती लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की सुविधा, स्वास्थ्य के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, भारत को शुरू से अंत तक स्वदेशी दवा निर्माण में पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर बनाने और अभिनव दवाओं के उत्पादन के लिए अनुसंधान और विकास का वातावरण बनाने के लिए की गई है। इसलिए, भारतीय औषध उद्योग की वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए इस नीति के विवरण पर काम करने की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए, समिति विभाग से इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, ठोस कार्य योजना के तहत अधिक गंभीर प्रयास करने और सभी संबंधितों के साथ बेहतर समन्वय करने के तरीकों और साधनों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि नई औषधी नीति के विवरण तैयार किए जा सकें/अंतिम रूप दिए जा सकें और लंबित आश्वासन को बिना किसी और देरी के लागू किया जा सके।

III. कार्यान्वयन प्रतिवेदन

20. संसदीय कार्य मंत्रालय के विवरणों के अनुसार, निम्नलिखित आठ (8) आश्वासनों के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन दिनांक 14.12.2022 को सदन के पटल पर रखे गए हैं।:

सारणी 2

क्रम सं	सारणी 1 में क्रम सं. (पैरा सं. 5)	ता.प्र./अता.प्र.सं और दिनांक	लागू होने की तिथि
1.	क्र. सं. 1	'विटामिनों और शक्तिवर्धक औषधियों का बाजार' से संबंधित दिनांक 25.04.2013 का अता.प्र.सं. 5025	14.12.2022
2.	क्र. सं. 2	'एपीआई का विनिर्माण' से संबंधित दिनांक 25.11.2014 का अता.प्र.सं. 299	14.12.2022
3.	क्र. सं. 7	'भेषज क्षेत्र' से संबंधित दिनांक 07.02.2017 का अता.प्र.सं. 743	14.12.2022
4.	क्र. सं. 9	'अनुसंधान और विकास व्यय' से संबंधित दिनांक 19.11.2019 का अता.प्र.सं. 248	14.12.2022
5.	क्र. सं. 10	'एनआईपीईआर की स्थापना' से संबंधित दिनांक 04.02.2020 का अता.प्र.सं. 231	14.12.2022
6.	क्र. सं. 11	'कर्नाटक में एन.आई.पी.ई.आर.' से संबंधित दिनांक 04.02.2020 का अता.प्र. सं. 452	14.12.2022
7.	क्र. सं. 14	'पी.पी.डी. योजना' से संबंधित दिनांक 16.03.2021 का अता.प्र.सं. 3313	14.12.2022
8.	क्र. सं. 15	'चिकित्सा उपकरण पार्क' से संबंधित दिनांक 10.08.2021 का अता.प्र.सं. 3567	14.12.2022

नई दिल्ली;

07 फ़रवरी 2023

18 माघ ,1944 (शक)

राजेन्द्र अग्रवाल,

सभापति,

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

भारत सरकार में पद्धति और प्रक्रिया नियमावली, संसदीय कार्य
मंत्रालय, नई दिल्ली, से उद्धरण।

अध्याय-8

आश्वासन

8.1 प्रश्न का उत्तर देते समय या चर्चा के दौरान यदि मंत्री सरकार की ओर से आगे कार्रवाई किए जाने के संबंध में सदन को फिर से सूचित करने का वचन देता है तो उसे "आश्वासन" कहा जाता है। सामान्यतः जो कथन आश्वासन मान लिए जाते हैं उनकी एक मानक सूची अनुबंध-3 में दी गई है। यह मानक सूची लोक सभा और राज्य सभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (सीजीए) द्वारा अनुमोदित है। चूंकि आश्वासनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यान्वित करना अपेक्षित होता है इसलिए सभी संबंधित व्यक्तियों को प्रश्नों के उत्तरों का प्रारूप तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन कथनों का प्रयोग केवल ऐसे अवसरों पर किया जाए जबकि इन कथनों द्वारा सदन के समक्ष स्पष्टतः कोई आश्वासन देने का इरादा हो।

परिभाषा

8.2 दोनों सदनों में से किसी भी सदन में दिया गया आश्वासन, आश्वासन दिए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर पूरा किया जाना आवश्यक है। इस समय सीमा का पूरी तरह से पालन किया जाए।

आश्वासन को पूरा करने की समय-सीमा

8.3 आश्वासनों को जल्दी से जल्दी पूरा किए जाने के लिए सदन की कार्यवाहियों से आश्वासनों को छांटने से लेकर कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक तथा समय सीमा बढ़ाने, आश्वासनों को छोड़ने तथा अंतरित करने तक की पूरी प्रक्रिया को एक "ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम" (ओ.ए.एम.एस.) नामक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के जरिए स्वचालित बना दिया गया है। किसी अन्य ऑफलाइन तरीके से समय सीमा को बढ़ाने, आश्वासनों को छोड़ने तथा अंतरित करने के लिए किए गए निवेदन या कार्यान्वयन रिपोर्ट की प्रस्तुति को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (ओ.ए.एम.एस.)

आश्वासनों को छांटना

8.4 जब कोई आश्वासन किसी मंत्री ने दिया हो अथवा पीठासीन अधिकारी ने सदन को कोई सूचना प्रस्तुत करने के लिए सरकार को निर्देश दिया हो तो संसदीय कार्य मंत्रालय संबंधित कार्यवाही से आश्वासनों को छांट लेता है और जिस तारीख को सदन के समक्ष वह आश्वासन दिया गया हो, उससे सामान्यतः 20 दिन के भीतर ओ.ए.एम. एस के जरिए संबंधित विभाग को ऑनलाइन सूचित कर देता है।

आश्वासनों की सूची से निकाल देना

8.5 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को ऐसे किसी वक्तव्य को आश्वासन मानने में आपत्ति हो या वह महसूस करे कि सार्वजनिक हित में आश्वासन की पूर्ति नहीं की जा सकती हो, तो वह इस प्रकार के वक्तव्य को आश्वासन मानने के एक सप्ताह के भीतर ही इसको आश्वासनों की सूची से हटा देने का अपना निवेदन 'ओ.ए.एम.एस' पर अपलोड कर सकता है। ऐसे निवेदनों को उनके मंत्री का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और उक्त निवेदन वाले उनके पत्र में इस तथ्य का उल्लेख होना चाहिए। यदि ऐसा निवेदन 3 मास की निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के करीब किया जाता है तो, उक्त निवेदन में समय सीमा बढ़ाने के लिए निवेदन भी अवश्य ही साथ में होना चाहिए। जब तक सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का कोई निर्णय ओ.ए.एम.एस. के माध्यम से उन्हें प्राप्त न हो जाए, तब तक विभाग को समय-सीमा बढ़वाने का निवेदन करते रहना चाहिए। ऑफलाइन तरीके से प्राप्त निवेदनों पर राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय या संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

आश्वासनों को पूरा करने की समय-सीमा बढ़ाना

8.6 यदि विभाग यह अनुभव करे कि आश्वासन तीन महीने की निर्धारित अवधि अथवा पहले ही बढ़ाई जा चुकी अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है तो वह समय बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होते ही समय बढ़वाने के लिए निवेदन करेगा जिसमें देशी के कारण, संभावित अतिरिक्त समय तथा इस मामले में की गई कार्रवाई तथा प्रगति का उल्लेख किया जाएगा। इस आशय के सभी निवेदन संबंधित मंत्री का अनुमोदन लेकर सीजीए के निर्णय के लिए 'ओ.ए.एम.एस' पर किए जाने चाहिए।

आश्वासनों का रजिस्टर

8.7.1 प्रत्येक आश्वासन के ब्यौरे, संबंधित मंत्रालय/विभाग के संसद एकक द्वारा अनुबंध-4 में दिए गए रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे और इसके पश्चात् आश्वासन संबंधित अनुभाग को भेज दिया जाएगा

आश्वासन

8.7.2 इस प्रकार के आश्वासनों को पूरा करने की कार्रवाई प्रत्येक अनुभाग द्वारा शीघ्रता से यहां तक कि संसदीय कार्य मंत्रालय से 'ओ. ए.एम.एस' द्वारा पत्रादि प्राप्त होने से पूर्व ही कर ली जानी चाहिए और आश्वासनों की पूर्ति पर अनुबंध-5 में दिए गए रजिस्टर के माध्यम से निगरानी रखी जानी चाहिए।

8.7.3 लोक सभा और राज्य सभा के आश्वासनों के लिए पैरा 8.7.1 तथा पैरा 8.7.2 में उल्लेख किए गए अनुसार अलग-अलग रजिस्टर बनाए जाएंगे और उनमें सत्रवार प्रविष्टियां की जाएंगी।

संबंधित अनुभाग का प्रभारी अनुभाग अधिकारी:-

अनुभाग अधिकारी और
शाखा अधिकारी की
भूमिका

(क) रजिस्ट्रों की सप्ताह में एक बार छानबीन करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न की जाए;

(ग) यदि संबंधित सदन का सत्र चल रहा हो, तो पखवाड़े में एक बार अन्वथा महीने में एक बार इन रजिस्ट्रों को शाखा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसका ध्यान ऐसे आश्वासनों की ओर विशेष रूप से आकर्षित करेगा जिनके तीन महीने के भीतर पूरे होने की संभावना नहीं है; और

(घ) लंबित आश्वासनों की समय-समय पर उच्चतम स्तर पर पुनरीक्षा की जानी चाहिए ताकि आश्वासनों का जल्द से जल्द कार्यान्वयन किया जा सके।

8.8 इसी प्रकार शाखा अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों और मंत्री को आश्वासनों के कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति के बारे में लगातार अवगत कराएगा और विलंब के कारणों की ओर उनका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करेगा।

8.9.1 आश्वासन को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। यदि सूचना का केवल कुछ अंश ही उपलब्ध हो और शेष सूचना को एकत्र करने में काफी समय लग सकता हो, तो एक कार्यान्वयन रिपोर्ट (आई आर) निर्धारित समय के भीतर आश्वासन के आंशिक कार्यान्वयन के तौर पर 'ओ.ए.एम.एस.' पर अपलोड कर दी जानी चाहिए। लेकिन आश्वासन को शीघ्र पूरा करने के लिए शेष सूचना को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की कोशिश जारी रहनी चाहिए।

आश्वासन को पूरा करने
की प्रक्रिया

8.9.2 किसी आश्वासन को पूरा करने के संबंध में भेजी जाने वाली आंशिक या पूर्ण सूचना के अनुबंध-6 में उल्लिखित निर्धारित फार्म में हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किए गए पाठ और अनुलग्नकों को संबंधित मंत्री का अनुमोदन लेने के बाद ही 'ओ.ए.एम.एस' पर अपलोड करवाया जाना चाहिए। आश्वासन को यथास्थिति आंशिक या पूर्णरूप से पूरा करने संबंधी रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद उसके अंग्रेजी और हिन्दी पाठ में से प्रत्येक की 4-4 हार्ड प्रतियां संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए, जिनमें से एक हिन्दी प्रति और एक अंग्रेजी प्रति संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित होनी चाहिए। संबंधित सदन द्वारा ई-रिपोर्ट स्वीकार किए जाने तक इन प्रतियों को सदन के पटल पर रखा जाएगा।

8.9.3 कार्यान्वयन रिपोर्ट को केवल 'ओ.ए.एम.एस' पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी अन्य तरीके से भेजी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट अथवा राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय को सीधे भेजी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा।

कार्यान्वयन रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना

8.10 कार्यान्वयन रिपोर्ट की छानबीन करने के पश्चात् संसदीय कार्य मंत्रालय उसे संबंधित सदन के पटल पर रखने की व्यवस्था करेगा। यह मंत्रालय सदन के पटल पर रखी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित सदस्य (सदस्यों)को भेजेगा। संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा दी कार्यान्वयन रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने का ब्यौरा संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 'ओ.ए.एम.एस' पर उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित मंत्रालय/विभाग का संसद एकक तथा संबंधित अनुभाग 'ओ.ए.एम.एस' पर उपलब्ध विवरण के आधार पर अपने-अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करेंगे।

सदन के पटल पर किसी विषय से संबंधित दस्तावेज रखने का दायित्व बनाम उसी विषय पर दिया गया आश्वासन

8.11 जिन मामलों में दस्तावेज (नियम/आदेश/अधिसूचना आदि) सदन के पटल पर रखा जाना बाध्यकारी हो और जिसके लिए आश्वासन भी दे दिया गया हो, तो इस दायित्व को पूरा करने के लिए पहले दस्तावेज को सदन के पटल पर रखा जाएगा, इसका दिए गए आश्वासन से कोई संबंध नहीं होगा। इसके बाद आश्वासन को पूरा किए जाने के संबंध में एक औपचारिक रिपोर्ट, सभा पटल पर दस्तावेज रखे जाने की तारीख का उल्लेख करते हुए, 'ओ.ए.एम.एस' पर (अनुबंध-6 में) निर्धारित फार्म में पैरा 8.9.2 में पहले ही बताए अनुसार अपलोड कर दी जाएगी।

8.12 संसद के प्रत्येक सदन में सरकारी आश्वासनों की एक समिति होती है जिसे सभापति/अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। यह समिति कार्यान्वयन रिपोर्टों और सरकारी आश्वासनों की पूर्ति में लगे समय की छानबीन करती है और उनके संबंध में हुई देरी के कारणों और उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर, यदि कोई हो, ध्यान आकर्षित करती है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर 'ओ.ए.एम.एस.' पर जारी किए गए अनुदेशों का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए।

सरकारी आश्वासनों पर समितियां
राज्य सभा नियम 211(क)
लोक सभा नियम 323, 324 और

8.13 मंत्रालय/विभाग, संसदीय कार्य मंत्रालय से परामर्श करके जहां कहीं आवश्यक होता है सुधारात्मक कार्रवाई के लिए इन दोनों समितियों की रिपोर्टों की छानबीन करेंगे।

सरकारी आश्वासनों पर समितियों की रिपोर्ट

8.14 लोक सभा भंग होने पर कार्यान्वयन के लिए लंबित आश्वासन रद्द नहीं होते हैं। सरकारी आश्वासनों संबंधी एक नई समिति सभी आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं या वचनों की छानबीन करके उनमें से ऐसे आश्वासनों का चयन करती है जो अत्यधिक लोक महत्व के होते हैं। उसके बाद समिति लोक सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिसमें समिति द्वारा उन आश्वासनों के संबंध में विशेष रूप से सिफारिश की जाती है जिन्हें सरकार द्वारा छोड़ा जा सकता है या कार्यान्वित किया जा सकता है।

लोक सभा भंग होने का आश्वासनों पर प्रभाव

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5025
दिनांक 25 अप्रैल, 2013 को उत्तर दिए जाने के लिए

विटामिनों और शक्तिवर्धक औषधियों का बाजार

5025.श्री एम.वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विटामिनों और शक्तिवर्धक औषधियों के 4500 करोड़ रुपये के बाजार का विनियामक तंत्र मजबूत करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)

(क) एवं (ख): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 299
दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए

एपीआई का विनिर्माण

299. डॉ. संजय जायसवाल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में आवश्यक दवाइयों के उत्पादन हेतु आवश्यक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडीएंट (एपीआई) को प्रोत्साहित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनंत कुमार)

(क) जी, हां।

(ख) से (ग): दिनांक 08.10.2013 को प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित एक बैठक में महत्वपूर्ण महत्व के सक्रिय औषध घटकों (एपीआई) का अध्ययन और पहचान करने तथा घरेलू उत्पादन क्षमताओं के सृजन के लिए अपेक्षित उपायों/ रियायतों का एक पैकेज तैयार करने तथा लागत निहितार्थ की जांच करने के लिए सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित करने का निर्णय किया गया था। अध्यक्ष के अलावा समिति में सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद (एनएमसीसी), सचिव, औषध विभाग, सचिव, स्वास्थ्य विभाग, सचिव, वाणिज्य विभाग और सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग शामिल हैं। उक्त समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 205
दिनांक 4 अगस्त, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए

भेषज कंपनियों की विपणन पद्धतियां

*205. कुमारी शोभा कारान्दलाजे :

क्यारसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्याचिकित्सकों को उपहारों, सत्कार, विदेशी यात्राओं इत्यादि के माध्यम से औषधियों की महंगी ब्राण्डों के नुस्खे लिखने के लिए प्रभावित करने के द्वारा औषधों/औषधियों के आक्रामक विपणन/प्रचार की रिपोर्ट मिली है यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ख) क्या ऐसी अनैतिक विपणन पद्धतियों को रोकने के लिए भेषज विपणन पद्धतियों संबंधी एकसमान संहिता (यूसीपीएमपी) पर विचार किया जा रहा है;
- (ग) यदि हां, तो उक्त संहिता की मुख्य बातें और उद्देश्य क्या हैं;
- (घ) क्या इस संबंध में सरकार को विभिन्न हितधारकों/भेषज एसोसिएशनों से टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भेषज विपणन पद्धतियों संबंधी एकसमान संहिता की वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (ङ) भेषज कंपनियों के एक वर्ग द्वारा अपनायीजा रही विपणन पद्धतियों को भेषज विपणन पद्धतियों संबंधी एकसमान संहिता किस हद तक रोक पाएगी?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीहंसराज गंगाराम अहिर)

(क) से (ङ): एकविवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

भेषज कंपनियों की विपणन पद्धतियों के संबंध में दिनांक 04.08.2015 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 205के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी, हां।

(ख): सरकार ने, पणधारकों से परामर्श करने के पश्चात्, भेषज विपणन पद्धतियों संबंधी एकसमान संहिता (यूसीपीएमपी) तैयार की है जिसे सर्वप्रथम स्वैच्छिक रूप से 31.08.2015 तक की अवधि के लिए अपनाया जाना है।

(ग): उपर्युक्त (ख)के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ): सरकार ने पणधारकों से सुझाव प्राप्त किए हैं, जिसके पश्चात् माननीय मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) ने पणधारकों के साथ बैठक की। प्राप्त किए गए सुझावों की जांच की जाएगी और सभी पणधारकों के साथ चर्चा किए जाने के पश्चात् एक ठोस संहिता तैयार की जाएगी।

(ड): यदि भेषज विपणन पद्धतियों संबंधी एकसमान संहिता (यूसीपीएमपी) को एक बार सही स्वरूप में पणधारकों द्वारा अपना लिया जाता है, तो इससे अनैतिक विपणन पद्धतियों में कमी आने की संभावना है।

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 205
दिनांक 4 अगस्त, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए

भेषज कंपनियों की विपणन पद्धतियां

*205. कुमारी शोभा कारान्दलाजे :

क्यारसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्याचिकित्सकों को उपहारों, सत्कार, विदेशी यात्राओं इत्यादि के माध्यम से औषधियों की महंगी ब्राण्डों के नुस्खे लिखने के लिए प्रभावित करने के द्वारा औषधों/औषधियों के आक्रामक विपणन/प्रचार की रिपोर्ट मिली है यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ख) क्या ऐसी अनैतिक विपणन पद्धतियों को रोकने के लिए भेषज विपणन पद्धतियों संबंधी एकसमान संहिता (यूसीपीएमपी) पर विचार किया जा रहा है;
- (ग) यदि हां, तो उक्त संहिता की मुख्य बातें और उद्देश्य क्या हैं;
- (घ) क्या इस संबंध में सरकार को विभिन्न हितधारकों/भेषज एसोसिएशनों से टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भेषज विपणन पद्धतियों संबंधी एकसमान संहिता की वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (ङ) भेषज कंपनियों के एक वर्ग द्वारा अपनायीजा रही विपणन पद्धतियों को भेषज विपणन पद्धतियों संबंधी एकसमान संहिता किस हद तक रोक पाएगी?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीहंसराज गंगाराम अहिर)

(क) से (ङ): एकविवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

भेषज कंपनियों की विपणन पद्धतियों के संबंध में दिनांक 04.08.2015 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 205के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी, हां।

(ख): सरकार ने, पणधारकों से परामर्श करने के पश्चात्, भेषज विपणन पद्धतियों संबंधी एकसमान संहिता (यूसीपीएमपी) तैयार की है जिसे सर्वप्रथम स्वैच्छिक रूप से 31.08.2015 तक की अवधि के लिए अपनाया जाना है।

(ग): उपर्युक्त (ख)के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ): सरकार ने पणधारकों से सुझाव प्राप्त किए हैं, जिसके पश्चात् माननीय मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) ने पणधारकों के साथ बैठक की। प्राप्त किए गए सुझावों की जांच की जाएगी और सभी पणधारकों के साथ चर्चा किए जाने के पश्चात् एक ठोस संहिता तैयार की जाएगी।

(ड): यदि भेषज विपणन पद्धतियों संबंधी एकसमान संहिता (यूसीपीएमपी) को एक बार सही स्वरूप में पणधारकों द्वारा अपना लिया जाता है, तो इससे अनैतिक विपणन पद्धतियों में कमी आने की संभावना है।

(Q. 205)

KUMARI SHOBHA KARANDLAJE : Madam Speaker, I congratulate the Government of India, particularly the Department of Pharmaceuticals for launching the Uniform Code of Pharmaceutical Marketing Practices (UCPMP) from 1st January, 2015 which was pending for many years. It is a good move from the Government to control and detect malpractices and illegal collusion between doctors and pharmaceutical companies. I want to know from the Government as to why the Uniform Code of Pharmaceutical Marketing Practices is voluntary and not mandatory. Anything voluntary in India will not work or serve the purpose especially in the field of business. I want to know, through you, from the Minister what action the Department of Pharmaceuticals will take to make the Uniform Code mandatory and what action will be taken by the Department against the pharmaceutical companies and doctors who are not following the Uniform Code of Pharmaceutical Marketing Practices. How many companies have come under this Code in the last six months?

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या ने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है और हमने उसका जवाब भी दिया है। यह पूछा गया है कि इसे स्वैच्छिक क्यों रखा गया है। माननीय सदस्या ने यह भी माना है कि देश में इस पर पहली बार कुछ काम हो रहा है। इस पर सरकार विचार कर रही है। हमारे मंत्रालय ने इस पर जनवरी में विचार किया। हमने 31 अगस्त तक संबंधित कम्पनियों की एसोसिएशन्स को मौका दिया है कि वे ऐसी शिकायतों पर कुछ काम करें, विशेषकर डाक्टरों के खिलाफ जो बात बताई गई है कि प्रलोभन दिया जाता है और बड़े उपहार, विदेश यात्रा के रूप में अपनी कम्पनी की महंगी दवाइयां बेचने का प्रयास होता है। इस पर हमारा मंत्रालय अकेले काम करने में सक्षम नहीं है। इसमें डाक्टरों का संबंध होने से हम इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय से भी सम्पर्क कर रहे हैं। हमारी इसी 29 जुलाई को संबंधित स्टैकहोल्डर्स के साथ मीटिंग हुई। कुछ सुझाव मांगे गए हैं। उसके बाद हमारा मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करके इस पर ठोस कोड बनाने पर विचार कर रहा है ताकि कम्पनियां प्रलोभन देकर डाक्टरों के माध्यम से अपनी महंगी दवाइयां बेचने का प्रयास नहीं करें। हमारा मंत्रालय इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है।

KUMARI SHOBHA KARANDLAJE : Madam, the Minister has not answered about the collusion between doctors and pharmaceutical companies. Actually some pharmaceutical companies are selling spurious and adulterated medicines. I want to know from the Minister as to what action the Government will take to curb this practice.

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदया, अगर कहीं नकली दवाइयां गलत रास्ते से बेची जाती हैं तो हमारे मंत्रालय का एनपीपीए उस पर काम करता है। जो भी शिकायत आती है, उस पर संबंधित कम्पनियों या कहीं गलत तरीके से किसी स्टोर में दवाइयां बिक रही हैं तो कार्यवाही की जाती है।

SHRI P.R. SENTHILNATHAN : Madam Speaker, the Government of Tamil Nadu headed by our able leader *Puratchi Thalaivi Amma* is implementing the Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme for the poor through which all the poor people can take medical treatment free of cost in all the hospitals, including private hospitals. Further, in order to make drugs available at an affordable cost, our Amma has opened Amma Pharmacy throughout the State through which all the medicines will be sold at an affordable cost on no profit, no loss basis. I want to know from the hon. Minister whether such a pharmacy on the line of Amma Pharmacy will be opened in all the States to make available all the medicines at an affordable price.

Further, we find unethical marketing practice like online trading of medicines. This will affect lakhs of people engaged in selling medicines. So, I would like to know from the hon. Minister whether the Government will take suitable measure to prevent such online trading in the pharmaceutical industry.

Thank you, Madam.

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदया, जिस तरह से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गरीब लोगों के लिए जनऔषधि उपलब्ध कराने का कार्यक्रम चलाया है, उसी तरीके से भारत सरकार भी काम करने जा रही है। जेनरिक औषधि और जनऔषधि स्कीम में सुधार करके फिर से देश में लांच करने का मंत्रालय का विचार है। यह स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट भी चला रही है और भी कई राज्यों में चलाई जा रही है। आपके माध्यम

से जो प्रश्न पूछा गया है, जो भी इस तरह की शिकायतें आती हैं, हम उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं और शिकायत मिलने पर हम उस आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला : महोदया, जब दवाईयों की बात आती है, यह बहुत अहम हिस्सा है क्योंकि गरीब आदमी आज भी महंगी दवाई न खरीद पाने के कारण लाचार है। जब यूनिफार्म कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट की बात आती है, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब बताया कि सरकार मोनिटर्सिंग करने में सक्षम नहीं है। जब कोका कोला और अन्य सॉफ्ट ड्रिक्स के ऊपर पेस्टिसाइड कंट्रोल की बात आई थी तब उस समय एक ज्वॉइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाने का काम किया गया था, जिसमें माननीय मंत्री जी अनंत कुमार जी सदस्य थे। क्यों नहीं फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की मार्केटिंग के लिए एक ज्वॉइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाकर यह दिशानिर्देश हर विभाग को दिया जाए कि गरीब आदमी तक भी सस्ते दाम पर दवाई देने का काम करें। देश के हर गरीब आदमी तक मोनेटरी बेनिफिट देकर महंगी दवाइयां खरीदी जाती हैं इसे भी कम करने का काम किया जाए।

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदया, डॉक्टरों द्वारा महंगी दवाइयां देने की सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय और रसायन मंत्रालय के मंत्री अनन्त कुमार जी ने इस संबंध में 29 जुलाई को एक मीटिंग बुलाई थी, इसमें एमसीआई के डायरेक्टर भी आए थे। सदस्य ने जो कहा है हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, निश्चित ही हमारा मंत्रालय गरीब लोगों से लूट न हो, चाहे नकली दवा की बात हो या महंगी दवा का प्रश्न हो हम इसी पर काम करने जा रहे हैं।

श्री डी.एस. राठौड़ : महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि भारत में महंगी दवाइयों के मुकाबले में सस्ती जेनरिक दवाइयों को ज्यादा प्रचारित करने के बारे में कोई योजना है, यदि हां तो इसकी जानकारी दें।

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदया, हमारा मंत्रालय जनऔषधि स्कीम 2015 लागू करने जा रहा है। हम उसकी पॉलिसी बना रहे हैं, जेनरिक औषधि दवाइयां सस्ती होती हैं, उसका स्टैंडर्ड मेनटेन करते हुए गरीब लोगों के लिए जगह-जगह पर स्टोर खोलने के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। हम यह स्कीम इसी वर्ष शुरू कर रहे हैं, सदस्य की इच्छा के अनुसार ही देश की गरीब जनता को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए हम जनऔषधि स्टोर खोलने जा रहे हैं।

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 235
दिनांक 26 अप्रैल, 2016 को उत्तर दिए जाने के लिए

महंगी दवाओं के व्यापार लाभ की सीमा तय करना

235. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी :
श्री गुत्था सुकेन्द्र रेड्डी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि उच्चस्तरीय समिति ने दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य को कम करने के उद्देश्य से महंगी दवाओं के व्यापार लाभ की सीमा तय करने की सिफारिश की है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंस राज गंगाराम अहिर)

(क): जी हां।

(ख): समिति ने व्यापार मूल्य (पीटीटी) के संदर्भ में क्रमिक व्यापार लाभ का प्रस्ताव किया है। समिति के प्रस्तावों को पणधारकों से उनकी टिप्पणियों का अनुरोध करते हुए विभाग की वेबसाइट पर रखा गया है। इन टिप्पणियों की जांच की जाएगी और तत्पश्चात एक अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3383
दिनांक 06 दिसम्बर, 2016 को उत्तर दिए जाने के लिए

अनुचित प्रथाएं

†3383.श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को जानकारी है कि भेषज कंपनियों अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अनुचित बाजार प्रथाओं में लिप्त है और यदि हां, तो इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है;
- (ख) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि भेषज कंपनियां अपने उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु डॉक्टरों को वित्तीय सहायता, महंगे उपहार, विदेशी दौरे और डेबिट कार्ड दे रही हैं और यदि हां, तो इसको नियंत्रित करने हेतु सरकार ने क्या कार्रवाई की है;
- (ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि भेषज कंपनियां डॉक्टरों के लिए चिकित्सा सम्मेलनों को प्रायोजित कर रही हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और
- (घ) क्या सरकार का विचार भेषज विपणन प्रथाओं हेतु समान संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया)

(क), (ख) और (ग): जी, हां। सरकार को कुछ औषध कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अनुचित बाजार प्रथाओं में लिप्त हैं। इन शिकायतों की जांच की गई थी और समान औषध विपणन संव्यवहार संहिता (यूसीपीएमपी) के प्रावधानों के अनुसार इन पर कार्रवाई की गई थी, जो कि दिनांक 01.01.2015 से प्रभावी है।

(घ): यदि ऐसा पाया जाता है कि दिनांक 01.01.2015 से वर्तमान में प्रभावी समान औषध विपणन संव्यवहार संहिता प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है, तो सरकार इस संहिता को सांविधिक बना सकती है।

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 743
दिनांक 7 फरवरी, 2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

भेषज क्षेत्र

743. श्री बी.वी. नाईक :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार भेषज क्षेत्र को उभरता हुआ उद्योग मानती है जिसमें विकास की अपार संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार भेषज और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए एक पृथक मंत्रालय स्थापित करने पर विचार कर रही है;
- (ग) क्या सरकार देश में भेषज उद्योग की सहायता करने के लिए चीन से औषधियों के आयात में व्यापक कटौती करने की कटोच समिति की सिफारिशों को लागू करने पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया)

(क): जी, हां। भारतीय औषध उद्योग में भारी वृद्धि हो रही है। वर्ष 2007 में 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में, यह लगभग 71000 करोड़ रुपए पर थी जो फार्माट्रिक और फार्मेक्सिल के 2015-16 तक के आंकड़ों के अनुसार अब बढ़कर लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।

(ख): जी, नहीं।

(ग) और (घ): अभी तक कटोच समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 249
दिनांक 18 जुलाई, 2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

नई औषधि नीति

249. श्री गुल्था सुकेंद्र रेड्डी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सही है कि सरकार नई औषधि नीति को लागू करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) नई औषधि नीति को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार एक नई राष्ट्रीय औषधि नीति को आरंभ करने का विचार कर रही है। इस ब्यौरे पर कार्रवाई की जा रही है।

(ग): इस स्तर पर कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 248
दिनांक 19 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए
अनुसंधान और विकास व्यय

248. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय भेषज कंपनियों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का अनुसंधान और विकास (आरएण्डडी) संबंधी व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा नई दवाइयों के विकास हेतु अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों पर व्यय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) देश में विकसित नई औषधि अणु का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा देश में नई औषधि अणुओं के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)

(क): यह विभाग भारतीय औषधीय कंपनियों के अनुसंधान और विकास (आरएण्डडी) व्यय के बारे में जानकारी नहीं रखता है। औषध विभाग के तत्वावधान में पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) हैं, लेकिन ये सभी या तो बंद होने वाले हैं या कार्यनीतिक विनिवेश के अधीन हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान फार्मा पीएसयू का आर एंड डी व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अनुसंधान एवं विकास व्यय (रुपए करोड़ में)	0.27	0.36	0.90	1.40	0.15

(ख), (ग) और (घ): औषध विभाग ने औषधीय अनुसंधान के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु एक मजबूत तंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के अन्तर्गत आने वाले संगठनों और संस्थानों द्वारा किए जाने वाले औषधीय अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य के समन्वय के लिए एक अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया है। इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

(i) धन के इष्टतम उपयोग के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के तहत विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा किए गए शोध कार्यों की एक सहयोगात्मक, समन्वित और गतिशील तरीके से समय-समय पर समीक्षा और समन्वय करना; और (ii) यह सुनिश्चित करना कि शोध इस प्रकार किया जाए कि प्रयासों और संसाधनों के दोहराव से बचा जा सके। विभाग ने मास्टर्स और डॉक्टरेट शिक्षा प्रदान करने और औषधीय क्षेत्र की विभिन्न विशिष्टताओं में अनुसंधान करने के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में सात राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर) की स्थापना की है।

इसके अलावा, सरकार ने नई दवा अणुओं की खोज और विकास के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं। यह विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए धन प्रदान करता है जो दवा संरचना और विकास में सक्रिय रूप से शामिल हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआईआर) प्रयोगशालाओं की स्थापना भारत सरकार द्वारा दवा खोज और विकास कार्यक्रमों की सुविधा के लिए की गई है। इन अनुसंधान प्रयोगशालाओं ने न केवल दवा की खोज और विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास किया है, बल्कि नए दवा अणुओं को नैदानिक चरण में ले लिया है या उत्पादों को लॉन्च किया है। इसी प्रकार, आयुर्वेदिक और हर्बल दवाओं को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई थी। आगे का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

'अनुसंधान और विकास व्यय' के संबंध में श्री दुष्यंत सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 19.11.2019 के लोक सभा अतिरिक्त प्रश्न सं. 248 के भाग (ख), (ग) एवं (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

(ख), (ग) एवं (घ): (i) प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय दवा उद्योगों और/अथवा अनुसंधान संस्थानों द्वारा कई नए ड्रग अणुओं को विकसित किया गया है जो निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	अणु का नाम	चिकित्सीय श्रेणी	संगठन	स्थिति
1	डीआरएफ 2593	नधुमेह-पीपीएआर एगोनिस्ट	डॉ. रेड्डीज़ लेबोरेटरीज लि.	विकास को समाप्त कर दिया
2	आरबीX2258	बिनाइन प्रोस्टेटिक हाईपरप्लासिया	रेनबेकसी लेबोरेटरीज लि.	श्वारज़ फार्मा को लाइसेंस दिया गया
3	आरबीX11160 (सिनरियम)	सेरेब्रल मलेरिया	रेनबेकसी लेबोरेटरीज लि.	2012 में विश्व स्तर पर लॉंच की गई
4	पॉलिकेप	हार्ट अटैक	कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और आईआईआईएम, जन्मू (सीएसआईआर लैब)	वेस्टर्न बायोटेक लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया
5	क्रोफेलेमर	एन्टीडायरोइयल एजेंट	ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड	2012 में वैश्विक स्तर पर लॉंच किया गया
6	सेन्टक्रोमन	गर्भनिरोधक	सीडीआरआई और एचएलएल लाइफकेयर लि	1990 में भारत में लॉंच किया गया
7	डालजबोन	रेपिड फ्रैक्चर हिलिंग	सीडीआरआई और फार्मांजा हर्बल प्राइवेट लिमिटेड	2015 में भारत में लॉंच किया गया
9	गुगुलिपिड	हाईपोलिपिडेमिक	सिप्ला लिमिटेड	1987 में भारत में लॉंच किया गया
10	आईएन-105	नधुमेह	बायोकोल लिमिटेड	चरण-III नैदानिक परीक्षण के तहत
11	एनआईएडीएमएसए	धातु विषाक्तता	डीआरडीई, ग्वालियर	चरण-II नैदानिक परीक्षण के तहत

(ii) नाईपर-कोलकाता प्रमुख अणुओं को विकसित करने की दृष्टि से अनुसंधान एवं विकास अनुसंधान कर रहा है जिसमें कैंसर सेल लाइन के खिलाफ साइटोटॉक्सिक गतिविधि हो सकती है। अणु जिसको अब तक संश्लेषित किया जाता है, वे स्फिरो ओक्सिडोलो करक्यूमिनोएड्स है, ने हेपजी2 (यकृत कैंसर कोशिका लाइन) और हेला (शीवा कैंसर कोशिका लाइन) पर साइटोटॉक्सिक प्रभाव दिखाया। कैंसर के पशु मॉडल में इस अणु का परीक्षण चल रहा है।

(iii) नाईपर-गुवाहाटी ने 2 संभावित लीड अणुओं का विकास किया है जिनका उपयोग इनहिबिटिंग ऑटोफैगी प्रक्रिया द्वारा कैंसर चिकित्सा में और इनहिबिटिंग एल्डोज रिडक्टेस एनक्साइम द्वारा सैल मेटाबोलिज्म में किया जा सकता है। नाईपर-गुवाहाटी नई दवा वितरण प्रणाली के विकास की दिशा में भी काम कर रहा है। आधुनिक दवा वितरण प्रणालियों के संभावित व्यावसायिक शोषण के साथ, जिसमें ठोस और तरल धारण-दोनों प्रकार की दवा वितरण प्रणाली शामिल हैं, जो पौधों से व्युत्पन्न जैविक रूप से सक्रिय औषधीय एजेंटों जैसे धनिया, मेथी, अदरक, केसर आदि के साथ उनके सम्मेलन के बाद प्राप्त होती हैं। आरंभ में औषध प्रदानगी वाहक को प्रभावी रूप से पकड़ने के लिए केवल एकल औषधीय एजेंट पर सारा ध्यान लगाया गया था। हाल ही में, हमारे शोध का विषय एक ही दवा वितरण वाहक में दो औषधीय एजेंटों को, विशेष रूप से तरल-निवृत्त वेक्टर में पकड़ना है।

(iv) दवा विकास कार्यक्रम के तहत, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) दवा विकास अर्थात मानकीकरण, पूर्व-नैदानिक सुरक्षा और नैदानिक अध्ययन की एक व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से नए योगों/दवाओं के विकास का कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में, सीसीआरएएस ने 12 तकनीकों का विकास किया है और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के माध्यम से सार्वजनिक उपयोगिता के लिए उनका व्यवसायीकरण किया है। सीसीआरएच द्वारा विकसित होम्योपैथी में नई दवाएं इस प्रकार हैं:

1. अस्कैलियस कुरसविका
2. ब्रास आईस ओलेरासिया
3. बक्सस सेपरविरेंस
4. कार्डियोसप्म उर्न हालिकाकाबम
5. कैसियाजिस्टुला
6. कुस्कुला रिफ्लेक्सा
7. करकुमा लोंगा
8. साईनारा स्कोलिमस
9. फ़ो निकुलम वलगारे
10. पर्सिया अमेरिकाना
11. फिल/ एन्थियस नेरूरि
12. विथानिया सोम्निफेरा
13. कैसिया सोलेरा
14. ग्लाड्सीरिजा ग्लबरा
15. डैंगू नोसोड
16. न्यू मलेरिया नोसोड
17. जेई वायरस से नोसोड
18. लीशमैनिया से नोसोड
19. रोटा वायरस और ई-कोलाई बैक्टीरिया से नोसोड

(v) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ ड्रग्स और दवा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1994-1995 के बाद से एक योजना स्कीम (ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान कार्यक्रम-डीपीआरपी) को कार्यान्वित कर रहा है:

- सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग की शक्तियों का तालमेल करने के लिए;
- नई दवा विकास की सुविधा के लिए एक सक्षम बुनियादी ढाँचा, तंत्र और लिंकेज बनाने के लिए;
- दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के लिए अनुसंधान और विकास में मानव संसाधनों के कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए;

(vi) सहयोगात्मक परियोजनाएं (सार्वजनिक निजी भागीदारी) - दवा विकास में शामिल कोई भी भारतीय फार्मा कंपनी संयुक्त रूप से सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीएआर, आदि विश्वविद्यालय विभाग/अन्य शैक्षणिक संस्थान और किसी भी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संस्थान के तहत राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं कर सकती है। उद्योग को संस्थान को आवर्ती लागत का 30% योगदान देना होगा। डीएसटी आवर्ती लागत का 70% और उपकरण घटक का 100% योगदान देगा।

इस कार्यक्रम के तहत 119 उद्योगों - पशु चिकित्सा सहित चिकित्सा की आधुनिक और भारतीय दोनों प्रणालियों में संस्थागत गठजोड़ को वित्त पोषित किया गया है। यह कार्यक्रम क्षय रोग, मलेरिया, अतिसार, नधुनेह, मोतियाबिंद, कर्क, मनोभ्रंश, एचआईवी/एड्स, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी कैंसर, जीवाणुरोधी, विरोधी रेबीज, एंटी मोटापा, विरोधी दमा, गठिया, आदि, डेंगू, जापानी एन्सेफलाइटिस, हेपेटाइटिस-बी के लिए टीके, आदि पर अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सहायता करता है।

वैज्ञानिक विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों/राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की जरूरतों को पूरा करने के लिए मांग की गई सुविधा के क्षेत्र में आवेदन कर सकती हैं। भवन जैसी बुनियादी संरचना पर विचार नहीं किया जाएगा, परंतु विशेष संरचनाओं जैसे कोल्ड रूम, पशु गृह आईसोलेशन कक्ष आदि और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों पर विचार किया जा सकता है। विभिन्न प्रमुख संस्थानों और विश्वविद्यालयों में औषधीय अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए 57 आधुनिकतम अवसंरचना सुविधाओं का सृजन किया गया है जिनमें शामिल हैं नाईपर मोहाली में जैव-उपलब्धता, फार्माकोइन्फोरमेटिक्स, रेगुलेटरी टोकसीकोलोजी, सेफ्टी फार्माकोलोजी हेतु सुविधाएं; सीडीआरआई, लखनऊ में फार्माकोकाइनेटिक एवं मेटाबोलिक अध्ययन, रेगुलेटरी फार्माकोलोजी एवं टोकसीकोलोजी, मीडियम थ्रूपुट स्क्रीनिंग; सीसीएमबी, हैदराबाद में ट्रांसजेनिक एवं जीन नॉकआउट माइस, स्टेम सेल प्रौद्योगिकी और सम्पोषक चिकित्सा के लिए नैदानिक अनुसंधान सुविधा, वायोसेफ्टी लेबोरेटरी और अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में वायोइक्वेलेंस, फार्माकोविजिलेंस, न्यू केमिकल इंटीटीज डेवलपमेंट, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए पशु सुविधाएं।

इस कार्यक्रम के तहत तपेदिक, मलेरिया, काला-अजार, फाइलेरिया, आदि जैसी उपेक्षित बीमारियों के लिए नैदानिक परीक्षणों चरण- I, II और III के लिए भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योगों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2008-09 से, इस कार्यक्रम ने मलेरिया, कालाजार, आदि जैसी उपेक्षित बीमारियों में नैदानिक परीक्षण करने के लिए भारतीय फार्मा उद्योगों को 4 (चार) सहायता अनुदान परियोजनाओं की सहायता की है।

(vii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) सीएसआईआर-केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीडीआरआई), सीएसआईआर-भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईआईसीटी), सीएसआईआर-माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईएमटेक), सीएसआईआर-भारतीय टॉक्सिकोलॉजी अनुसंधान संस्थान, आदि जैसी अपनी संघटक प्रयोगशालाओं की नवोन्नत अवसंरचना और सुविधाओं के माध्यम से दवा अनुसंधान को सहयोग प्रदान करती हैं। ये प्रयोगशालाएं वहनीय स्वास्थ्य परिचर्या पर बल देते हुए दवा और औषध अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को आगे बढ़ा रही हैं।

(viii) दवा विकास के लिए अनुसंधान सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अधीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने पीजीआईएमईआर-चंडीगढ़, सीडीआरआई-लखनऊ, निज़ाम इंस्टीट्यूट-हैदराबाद, सेठ जी.एस. मेडिकल कॉलेज एवं केईएम हॉस्पिटल-मुंबई और एम्स-दिल्ली में उत्पाद विकास केन्द्रों की पहचान की है। ये केंद्र उन्नत अनुसंधान के लिए महाविद्यालयों/आईसीएमआर केंद्रों/केंद्र में आईसीएमआर वित्त पोषित परियोजनाओं द्वारा विकसित संभावित उत्पादों का मूल्यांकन करेंगे। ये केंद्र नई दवाओं उदाहरणार्थ फाइटोफार्मास्यूटिकल्स के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश/कार्यक्रम विकसित करने के लिए नैदानिक परीक्षण करेंगे।

(ix) जैव औषधियों के लिए उत्पाद विकास को सुदृढ़ करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने जैव औषधियों के शीघ्र विकास के लिए खोज अनुसंधान में तेजी लाने के लिए उद्योग-शैक्षिक सहयोग-मिशन "भारत में नवाचार (आई3) जैविक उद्यमियों को सशक्त बनाना और विस्तृत नवाचार में तेजी लाना" नामक एक मिशन शुरू किया है। विश्व बैंक ऋण के माध्यम से 50 प्रतिशत वित्त पोषण के साथ पांच वर्षों के लिए 250 मिलियन यूएस डॉलर की कुल लागत से मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय जैव फार्मा मिशन को जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी)- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मिशन का ध्यान (i) भारत में न्यूमोकोकस, डेंगू, एचपीवी और उच्च बोझ के अन्य रोगों के लिए कैंडिडेट्स के लिए वैक्सीन विकसित करना, (ii) कैंसर, मधुमेह और रूमॉटाइड आर्थराइटिस के लिए बायोसिमिलर्स और (iii) चिकित्सा उपकरण और नैदानिक उपकरण (iv) प्रोसेस डिवेलपमेंट लेबोरेट्री; रसायन शास्त्र, विनिर्माण, नियंत्रण यूनिट और जैव चिकित्सा-विज्ञान के लिए सीजीएलपी वैधीकरण सुविधा पर केन्द्रित है। डीबीटी ने जापानी एन्सेफलाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, आंतों के लीशमनियासिस और एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध को कवर करने वाले रोग क्षेत्रों में आरएंडडी परियोजनाओं की सहायता की है।

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 231

दिनांक 04 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

एनआईपीईआर की स्थापना

231. श्री एस. वेंकटेशन:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने 20 जनवरी, 2011 को हुई बैठक में आठवें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में अन्य एनआईपीईआर संस्थानों के साथ-साथ तमिलनाडु के मद्रुरै जिले में एनआईपीईआर संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है;
- (ख) क्या 26.03.2018 को व्यय वित्त समिति द्वारा भी उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और मद्रुरै में एनआईपीईआर संस्थान के साथ-साथ अन्य प्रस्तावित एनआईपीईआर संस्थानों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;
- (घ) क्या तमिलनाडु की राज्य सरकार ने जुलाई 2020 से छात्रों के प्रवेश की सुविधा के लिए मद्रुरै जिले में एनआईपीईआर संस्थान स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की है; और
- (ङ) यदि हां, तो सरकार ने वित्त आवंटन के लिए और मद्रुरै में एनआईपीईआर संस्थान की स्थापना को सुकर बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (वी सदानंद गौडा.श्री डी)

(क): जी, हां। तमिलनाडु के मद्रुरै जिले में नाईपर की स्थापना के प्रस्ताव को सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी। इसके बाद, बजट भाषण में 16-2015, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में नाईपर की स्थापना करने की घोषणा की गई थी।

(ख) से (ङ): तमिलनाडु सरकार ने नाईपर की स्थापना के लिए मद्रुरै जिले में 100 एकड़ भूमि आवंटित की है। विद्यमान छह नाईपर और मद्रुरै (तमिलनाडु), छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में प्रस्तावित चार नए नाईपर को स्थापित करने और लैस करने के लिए एक समेकित प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा दिनांक 26.03.2018 को विचार किया गया था। जबकि समिति ने वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान विद्यमान छह नाईपर को चालू रखने और मजबूत करने की सिफारिश की, लेकिन इसने मद्रुरै, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में प्रस्तावित चार नए नाईपर की स्थापना को स्थगित कर दिया। समिति ने आगे सिफारिश की कि इस मामले की समीक्षा वर्ष 2020 में पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि (2020-25) के दौरान की जा सकती है। विभाग तदनुसार वित्त मंत्रालय से संपर्क करेगा, जो मद्रुरै, तमिलनाडु सहित स्थगित नाईपर की स्थापना के लिए निधियों की मांग करेगा।

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 452
दिनांक 04 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

कर्नाटक में एन.आई.पी.ई.आर.

452. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार का कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान/(एन.आई.पी.ई.आर.) की स्थापना का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार कर्नाटक राज्य में मानव संसाधन के रूप में विशाल संभावनाओं को ध्यान में रखकर एन.आई.पी.ई.आर. की स्थापना का प्रस्ताव लेकर आई है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौडा)

(क) से (घ): विभाग ने अच्छी तरह से विकसित फार्मा उद्योगों, संबंधित क्षेत्र में उच्च अनुसंधान संस्थानों और कर्नाटक राज्य में छात्र समुदाय की मांग को देखते हुए बेंगलुरु में एक राष्ट्रीय औषध शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (नाईपर) स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह बजट भाषण 2020-21 में इसकी घोषणा करने पर विचार करें।

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1457
दिनांक 20 सितंबर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

नई औषधियों का अनुसंधान और विकास

1457. श्री मनोज कोटक:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने देशभर में उत्पन्न हो रही नई बीमारियों के उपचार के लिए नई औषधियों/वैक्सीनों के अनुसंधान और विकास के लिए कोई कार्यक्रम या नीति शुरू की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने औषधि अनुसंधान और विकास के लिए किसी अंतर-विभागीय संबंधित समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) देश के आम लोगों के लाभ हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)

(क) और (ख): विभाग ने भारत में फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मोहाली (पंजाब), अहमदाबाद (गुजरात), हाजीपुर (बिहार), हैदराबाद (तेलंगाना), गुवाहाटी (असम), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में सात राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर) स्थापित किए हैं। ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, जो मास्टर और डॉक्टरेट शिक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त, फार्मास्यूटिकल्स के विभिन्न विशेषज्ञताओं में उच्च स्तरीय अनुसंधान का संचालन करते हैं।

इसके अलावा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के माध्यम से राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (एनबीएम) को कार्यान्वित कर रहा है। यह पैन-इंडिया कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं से निपटने के लिए भारत को नोवल, वहनीय और प्रभावी टीकों, बायोथेराप्यूटिक्स और चिकित्सा उपकरणों के विकास का केंद्र बनाने पर केंद्रित है। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग भी भारत-सीईपीआई मिशन के कार्यान्वयन का समर्थन कर रहा है जिसका शीर्षक है "तीव्र वैक्सीन विकास के माध्यम से महामारी की तैयारी: महामारी की तैयारी के लिए नवोन्मेष गठबंधन की वैश्विक पहल के

साथ भारतीय वैक्सीन विकास का समर्थन" जिसका उद्देश्य भारत में महामारी की बिमारियों के लिए टीके का समर्थन करना है। मिशन को मार्च, 2019 में पांच साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी और यह अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन- अंडरटेकिंग नेशनली रिलेवेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन (यूएनएटीआई) नामक एक व्यापक पहल का हिस्सा है।

(ग) एवं (घ): निधियों के इष्टतम उपयोग और प्रयासों और संसाधनों का दोहराव न होना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत कई सरकारी संगठनों द्वारा आवधिक रूप में अनुसंधान कार्य की एक सहयोगात्मक समन्वित और गतिशील ढंग में पुनरीक्षा और सहयोग करने के लिए जनवरी, 2020 में इस विभाग ने एक अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया है। इसके अलावा इस विभाग ने औषध एवं चिकित्सा उपकरणों में एक शैक्षणिक-उद्योग संपर्क स्थापित करने सहित अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार पर एक नीति तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित उद्योग नेताओं/विशेषज्ञों सहित एक उच्च स्तरीय अंतर्विभागीय समिति का गठन किया है।

इसके अलावा, जैव प्रोद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (एनबीएम) हैजा, एनफ्लूएंजा, डेंगू, चिकनगुनिया, न्यूमोकोकल रोगों और कोविड-19 के लिए वैक्सीनों के विकास के लिए, वैक्सीन विकास हेतु साझी सुविधाएं स्थापित करने, प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यालयों का वित्त पोषण करने, चिकनगुनिया और डेंगू के लिए टीआरसी के विकास में सहयोग करने और नैदानिक जांच नेटवर्क की स्थापना करने, महामारी विज्ञान अध्ययन आयोजित करने एवं जनसंख्या आधारित वैक्सीन जांच करने हेतु तैयारी करने के लिए क्षेत्रीय स्थलों, ऑकोलॉजी, रियुमेटोलॉजी, ओपथलमोलॉजी और डायबटोलॉजी की विशेषताओं के लिए देशभर में अस्पतालों का नैदानिक जांच सहायता संघ, कौशल विकास और क्षमता निर्माण और कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित करने में सहयोग दे रहा है।

भरत सरकर
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारंकित प्रश्न संख्या 2314

दिनांक 09 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीवन रक्षक औषधियां

2314. श्री रितेश पाण्डेय:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कितनी जीवन रक्षक औषधियों को आवश्यक औषधियों की सूची में रखा गया है तथा इसके लिए मानदंड क्या हैं तथा ऐसी कितनी औषधियों को मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत रखा गया है;
- (ख) क्या सरकार का राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (एनएलईएम) 2015 को संशोधित करने और कुछ जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों को उनकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उक्त सूची के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी औषधियों/उपकरणों को एनएलईएम में शामिल करने/बाहर रखने के लिए चिन्हित किया गया है;
- (घ) क्या सरकार को एनएलईएम में कुछ कैंसर की औषधियों को शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
- (ङ) क्या सरकार का आवश्यक औषधियों की उपलब्धता को आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या वित्तीय और परिचालनात्मक प्रविधियां तैयार की गई हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)

(क): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय आवश्यक दवाइयों की सूची (एनएलईएम) प्रकाशित करता है, जिन्हें औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश की अनुसूची-1 में शामिल किया जाता है। जीवन रक्षक दवाइयों के बारे में एनएलईएम में कोई अलग वर्गीकरण नहीं है। औषध विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित फॉर्मूलेशनों का अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है। डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-1 को आखिरी बार एनएलईएम, 2015 को अपना कर संशोधित किया गया जिसमें 377 दवाइयां शामिल थीं। एनपीपीए ने एनएलईएम, 2015 के अधीन दवाइयों के 881 अनुसूचित फॉर्मूलेशनों का

अधिकतम मूल्य नियत किया है। निर्धारित मूल्य का विवरण एनपीपीए की वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ): विद्यमान एनएलईएम में परिवर्धन और विलोपन के माध्यम से राष्ट्रीय आवश्यक दवाइयों की सूची (एनएलईएम), 2015 की समीक्षा और संशोधित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.07.2018 को दवाई संबंधी राष्ट्रीय स्थायी समिति (एसएनसीएम) का गठन किया गया। एनएलईएम संशोधन प्रक्रिया में देश भर के विषय विशेषज्ञों और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों के परामर्श तंत्र शामिल हैं। दूसरों के बीच, समिति चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा डिस्पोजेबल, चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों और जन साधारण के स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य उत्पादों को एनएलईएम में शामिल करने का सुझाव देगी। समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मामले पर विचार-विमर्श कर रही है।

(ड) और (च): आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) योजना के अधीन परिभाषित स्वास्थ्य लाभ पैकेज व्यापक हैं, जिसमें 25 विशिष्टताओं के लिए उपचार कवर किए हैं, जिसमें सुपर स्पेशियलिटी देखभाल जैसे ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और कार्डियो-थोरेसिक सर्जरी आदि शामिल हैं। स्वास्थ्य लाभ पैकेज दर (शल्य चिकित्सा के मामले में) या परिभाषित डे-केयर लाभों में अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पूर्व से और अस्पताल से छुट्टी से 15 दिन पश्चात तक दवाइयों और औषध की लागत शामिल हैं। एबी पीएम-जेएवाई के अंतर्गत उपचार मानक उपचार दिशानिर्देश (यदि उपलब्ध हों) और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के पेशेवर निर्णय के अनुसार प्रदान किया जाता है।

तथापि, आवश्यक दवाइयों को एबी पीएम-जेएवाई के साथ जोड़ने के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3313
दिनांक 16 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

पी.पी.डी. योजना

3313. श्री पी. रविन्द्रनाथ:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश भर में गत तीन वर्षों के दौरान भेषज क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु भेषज संवर्धन विकास योजना (पी.पी.डी.एस.) के अंतर्गत की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) तमिलनाडु के मदुरै में राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एन.आई.पी.ई.आर.) की प्रस्तावित स्थापना की क्या स्थिति है; और
- (ग) उक्त एन.आई.पी.ई.आर. को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)

(क): विभाग ने देश में औषध उद्योग के विकास के लिए प्रासंगिक मुद्दों/विषयों पर प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाओं के साथ-साथ अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसी कई पहल की हैं। इसके अलावा, विभाग ने औषध क्षेत्र की बेहतर समझ के लिए विभिन्न अध्ययनों के साथ-साथ रिपोर्टों की प्राप्ति भी की है। विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 70 संगोष्ठियों/सम्मेलनों के आयोजन के लिए शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग संघों तथा अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ख) और (ग): मार्च, 2018 में वित्त मंत्रालय में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा तीन अन्य नाईपर के साथ मदुरै, तमिलनाडु (मदुरै) में नाईपर की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे स्थगित करने का फैसला किया। वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए ईएफसी जापान के भाग के रूप में मौजूदा नाईपरों के उन्नयन के लिए और चार नए नाईपरों, जिसमें एक मदुरै का शामिल है, की स्थापना के लिए औषध विभाग द्वारा एक नया समेकित प्रस्ताव फिर से वित्त मंत्रालय को फरवरी, 2021 में भेज दिया गया है। उसी की स्थापना के लिए आगे की कार्रवाई ईएफसी अनुमोदन प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3567

दिनांक 10 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

चिकित्सा उपकरण पार्क

3567. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार कर्नाटक राज्य में चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाने की योजना बना रही है;
- (ख) यदि हां, तो जिले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो कब तक उक्त योजना पर विचार किया जाएगा और इसके क्रियान्वित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मांडविया)

(क), (ख) और (ग): सरकार "चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन" योजना को क्रियान्वित कर रही है जिसमें राज्य सरकारों द्वारा विकसित किए जाने वाले चार चयनित चिकित्सा उपकरण पार्कों में साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए प्रति पार्क का एकबारगी अधिकतम सहायतानुदान प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 400 करोड़ रुपए है। इस विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस योजना के तहत प्रस्ताव आमंत्रित किए थे और इसे 16 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें कर्नाटक सरकार की ओर से एक प्रस्ताव शामिल है, जिसमें जिला मैसूरु के कोचनहल्ली औद्योगिक क्षेत्र में एक चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मांडविया):
माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च
बिल के अमेंडमेंट पर कुल-मिलाकर 24 माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। आज का दिन भी
महत्वपूर्ण दिन है। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है, जिन्हें
सिम्बल ऑफ नॉलेज के नाम से दुनिया जानती थी। डॉक्टर बाबा साहेब के पास कई पदवियां, कई
डिग्रियां थीं। यह डिग्री का विषय ही आज चर्चा का विषय है। नाइपर एक पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी
डिग्री देती है। इससे और अधिक डिग्रियां देने के लिए कई अमेंडमेंट लेकर मैं आज सम्माननीय
सदन में आया हूँ।

इस सदन में हनुमान बेनीवाल जी मुझे कहकर गए हैं कि हमने बोला है, हमारा नाम आना
चाहिए। मेरा फर्ज ही है कि मुझे सभी का नाम बोलना चाहिए। श्री अब्दुल खालेक जी, डॉ.
राजदीप राय जी, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी जी, प्रो. सौगत राय दादा, डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
जी, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे जी, डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, कुमारी चन्द्राणी मुर्मु जी, कुंवर
दानिश अली जी, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले जी, डॉ. मोहम्मद जावेद जी, श्री अनुराग शर्मा जी,
श्री एस. वेंकटेशन जी, श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी, श्री एम. सेल्वराज जी, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
जी, श्री हनुमान बेनीवाल जी, एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी, श्रीमती सुनीता दुगल जी, श्रीमती
प्रतिमा मण्डल जी, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी, श्री पी. रविन्द्रनाथ जी, श्रीमती नवनित रवि
राणा जी, श्री अधीर रंजन चौधरी जी, कुल मिलाकर 24 सम्माननीय सांसदों ने बिल पर अपने
महत्वपूर्ण सुझाव रखे। सभी ने एक ही बात बोली है कि बिल अच्छा है, सभी की कंसेंसस है कि हमें
इस बिल को पारित करना है। बिल पर आपने अपनी-अपनी ओर से अपने सुझाव भी रखे हैं। इस
बिल के क्या बिंदु हैं और क्यों विषय लेकर आए, यह मैं पहले बता देता हूँ। कुल-मिलाकर हम चार
अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं। चार अमेंडमेंट्स के माध्यम से हम बिल में क्या करना चाहते हैं?
मोहाली हमारी नेशनल इंपोर्टेंस की इंस्टीट्यूट थी, उसके बाद 6 नई इंस्टीट्यूट्स बनीं। 1 नेशनल
इंपोर्टेंस की थी, तो 6 में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं था। हमने तय किया कि सभी 6 और प्लस 1,

यानी 7 हमारी इंस्टीट्यूट्स हैं और हमें आगे भी इंस्टीट्यूट्स खोलनी हैं। कई लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे यहां भी खोलनी चाहिए, तो आने वाले दिनों में जितने इंस्टीट्यूट्स बनें, ये सब नेशनल इंपोर्ट्स नाइपर इंस्टीट्यूट्स बनें। हमारा उसमें यह महत्वपूर्ण संशोधन है, अमेंडमेंट है।

दूसरा अमेंडमेंट है, अब हम केवल मास्टर डिग्री और पीएचडी की डिग्री देते हैं। अधीर रंजन जी, समय बदला है। सबको अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन भी मिले, एकेडेमी से लिकेज हो, वह सैल्फ सस्टेन बने। आज देश में 10,000 से ज्यादा फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज हैं। जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास रिसर्च यूनिट होते हैं, रिसर्च की व्यवस्था होती है, परंतु छोटी इंडस्ट्री के पास रिसर्च की एस्टेबलिशमेंट नहीं होती है इसके लिए रिसर्च में नाइपर का सहयोग चाहिए। सहयोग देने से उसका खर्च भी कम होगा, नाइपर को इनकम भी होगी और यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी मिलेगी। एक और उद्देश्य है कि और ज्यादा कोर्सिस चालू हों।

तीसरा अमेंडमेंट है, नाइपर तो बनते जा रहे हैं, नाइपर अपनी ओर से काम करे तो कॉम्प्रिहेन्सिव काम करने की आवश्यकता होगी और हमें टारगेट तय करना होगा। मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा, जैसे हमारे देश में कोई क्रिटिकल मेडिसन नहीं बनती है तो हमें हर इंस्टीट्यूट को कुछ न कुछ मेनडेट देना चाहिए। यह कौन तय करेगा? सरकार को किसकी रिक्वायरमेंट है? वर्तमान स्थिति में हमारी डिमांड क्या है? हमारे देश में रिसर्च कैसी चल रही है? हम कॉम्प्रिहेन्सिव रिसर्च कर सकें, एजुकेशन दे सकें ताकि इसका उपयोग देश के लिए हो, इसलिए हमने नेशनल काउंसिल बनाने की बात कही है। सौगत राय दादा, नेशनल काउंसिल में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का कोई अधिकार नहीं ले रहा है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के पास जो अधिकार है, वह अधिकार वहीं रहेगा। नेशनल काउंसिल एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करेगी।

यहां कई सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात रखी कि इसमें एससी, एसटी का प्रतिनिधित्व नहीं है। गवर्निंग बॉडी में 22 की संख्या को कम कर दिया, 12 कर दिया और वहां जो एससी, एसटी के कैडीडेट थे, हमारे सम्मानित सांसद भी उसमें थे, उनको काउंसिल में ले लिया। हमने प्रतिनिधित्व खत्म नहीं किया है। हमने प्रतिनिधित्व ऑलरेडी काउंसिल के तौर पर रखा है। यह

एक महत्वपूर्ण विषय है। कुल मिलाकर नाइपर में काउंसिल बनाना, डिग्री देना, अंडर ग्रेजुएट डिग्री चालू करना, सबको नैशनल इम्पॉर्टेंस घोषित करना और गवर्निंग बॉडी में सदस्य संख्या कम करना, हम ये चार सुझाव, अमेंडमेंट लेकर आए हैं। सबने बहुत सकारात्मक और हकारात्मक बात कही है। मैं आप सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूँ। इसमें जो कमेंट आए हैं, बात आई है, मैं उसे पहले थोड़ा क्लेरिफाई कर दूँ। वैसे तो मुझे पहले से बात चालू करनी चाहिए लेकिन अधीर रंजन जी ने पूछा कि आपने किया क्या? मुझे यह बताना चाहिए। अधीर रंजन जी, प्रेमचन्द्रन जी और कई सदस्यों ने जन औषधि का उल्लेख किया।

आपने कहा कि हमने किया, मैं बता दूँ, अच्छी स्कीम उन्होंने ही वर्ष 2008 में शुरू की थी। वर्ष 2008 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि जेनरिक मेडिसिन लोगों को मिलनी चाहिए। हम सरकार में वर्ष 2014 में आए। उस वक्त छः साल हो गए थे, केवल 103 स्टोर थे और वहाँ 300 से कम टाइप की मेडिसिन मिलती थी। जो स्टोर थे, एक के बाद एक बंद हो रहे थे। मोदी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी, मैं एमओएस हुआ करता था। मैं उनसे मिलने गया तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि यह सेवा का कार्य है और करना चाहिए, रुचि लेकर करना चाहिए। मैं एमओएस हुआ करता था, मेरे पास ज्यादा काम नहीं था, मैं इस काम में लगा क्योंकि यह गरीबों का काम था।

मेडिसिन की प्रेस्क्रिप्शन लिख देना एक बात होती है और प्रेस्क्रिप्शन के बाद डायग्नोसिस करना एक बात होती है। निदान हो गया, 100 रुपये फी दे दी, लेकिन जब मेडिसिन लेने जाते हैं बहुत महंगी मिलती है, जैसे कैंसर की मेडिसिन है। अब तो हैबिचुअल डिस्बीज बढ़ रही हैं, डायबिटीज की परमानेंट मेडिसिन लेनी पड़ती है। बीपी की परमानेंट मेडिसिन लेनी पड़ती है। कैंसर पेशेंट को परमानेंट मेडिसिन देनी पड़ती है। कार्डियक पेशेंट को परमानेंट मेडिसिन लेनी पड़ती है। गरीब हो या अमीर हो, बीमारी किसी को पूछ कर नहीं आती है। अमीर के यहां भी आती है, गरीब के यहां भी आती है। जब अमीर के यहां आती है तो उसकी जेब में पैसा होता है, वह सर्वाइव कर जाता है, लेकिन गरीब के यहां जब हैबिचुअल बीमारी आती है तो 2000-3000 रुपये मेडिसिन में

चल जाते हैं। इससे उसके बच्चे की पढ़ाई हो सकती है, घर का गुजारा चल सकता है। उन्हें सस्ती दवाई मिले, इसके लिए काम करना चाहिए। मोदी जी ने मुझे मार्गदर्शित किया और मैंने वह काम किया। मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज देश में 8500 जन-औषधि स्टोर हैं। 2400 से अधिक टाइप की मेडिसिन्स वहां उपलब्ध हो रही हैं और 56 से ज्यादा मेडिकल डिवाइसेज उपलब्ध हो रहे हैं। पर डे 10 से 15 लाख लोग जन औषधि स्टोर पर मेडिसिन लेने जाते हैं।

अधीर रंजन जी हमने ये काम भी किया। यहां यह भी बात हुई कि जेनेरिक मेडिसिन का व्याप बढ़ाना चाहिए। दुनिया अपने यहां रिसर्च करके और पेटेंट करके ब्रांडेड एवं महंगी मेडिसिन इंडिया में भेजती है, लेकिन दुनिया हमारी जेनेरिक मेडिसिन खाती है। आप अमेरिका जाएंगे तो देखेंगे कि वहां 40 परसेंट इंडिया में बनी हुई जेनेरिक मेडिसिन का यूज होता है और हम ब्रांडेड मेडिसिन खाते हैं। उसके लिए अवेयरनेस कैसे लाया जाए? यह अवेयरनेस लाने का काम करने के लिए जन औषधि स्टोर चलाया गया। जन औषधि स्टोर का नतीजा यह निकला कि पहले देश में जेनेरिक मेडिसिन का शेयर केवल 2 परसेंट होता था, लेकिन आज वह 8 परसेंट से ज्यादा है। जेनेरिक मेडिसिन का शेयर बढ़ने लगा और लोगों को सस्ती मेडिसिन मिलने लगी। मैंने एक स्टडी करवाई थी कि जन औषधि स्टोर के माध्यम से लोगों को कितना फायदा हुआ तो आकलन यह निकला कि प्रतिवर्ष 8 हजार जन औषधि स्टोर्स से सस्ती जेनेरिक मेडिसिन दवाइयां मिलती हैं। कैंसर की कई मेडिसिन्स हैं, जो मार्केट में एक ब्रांडेड टैबलेट की कीमत 200 से 300 रुपये होती है, लेकिन जन औषधि स्टोर पर जाने पर वह 50-60 रुपये में मिल जाती है। वहां लंबी लाइन लगी होती है। यह बात सही है कि कभी आप जन औषधि स्टोर पर गए हों, आप कोई भी फॉर्मसी स्टोर पर जाएं, वहां हंड्रेड परसेंट मेडिसिन उपलब्ध हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि कोई कार्डियक का डॉक्टर हो और उसके अगल-बगल में मेडिकल स्टोर है तो वहां कार्डियक के अनुरूप मेडिसिन्स ज्यादा उपलब्ध होते हैं। कोई एम.डी. डॉक्टर होता है तो वहां उसी अनुरूप मेडिसिन्स उपलब्ध होती हैं। आप जो मांगें और वही मेडिसिन सभी जगह मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं ऐसा दावा

नहीं करता हूँ कि जन औषधि स्टोर पर आप जो भी मेडिसिन मांगेंगे, वह उपलब्ध होगी। लेकिन, हमने प्रयास किया है कि देश के लोगों को सस्ती से सस्ती दवाइयाँ मिलें, लोगों का जीवन सुनिश्चित और वह उसकी बीमारी में उपयोगी हो।

श्रीकांत शिंदे जी ने बहुत अच्छी बात कही, आपने भी यह प्रश्न रोज किया कि एपीआई के मामले में हमें दुनिया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारा देश 130 करोड़ की आबादी वाला देश है। हमें भी मेडिसिन की रिकवॉयरमेंट है। यद्वि हम इतनी अबादी के लिए मेडिसिन के लिए दूसरे पर निर्भर रहें तो यह उचित नहीं है। इसके बारे में आप भी सोच सकते थे। आपकी भी सरकार थी। एक बात और मैं आपको बता दूँ कि ये सब पीएसयू कब मर गए? उनको हमने आकर नहीं मारा। वे तो मरे हुए थे। हमने तो कोशिश की है कि वह स्ट्रेटजिक सेल करे और जो बच सके, उसको बचाए।

हमारी सुप्रिया बहन ने कहा कि पिंपरी में पेनिसिलिन का प्लांट है। मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तब यह हमारे सिलेबस का पार्ट था कि देश में सबसे बड़ा पेनिसिलिन का प्लांट कहां है? तो हम लिखते थे कि पिंपरी में पेनिसिलिन का भारत में सबसे बड़ा एपीआई प्लांट है। वह हमारे लिए एक समय प्राइड थी। लेकिन, वह क्यों मर गई। वह इसलिए मर गई, क्योंकि जब दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन में उब्ब्युटीओ के अंतर्गत सारी दुनिया फ्री ट्रेड करने लगी तो कई कंट्रीज ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने यहां बड़े-बड़े कारखाने लगा दिये और सस्ते दाम पर पेनिसिलिन का एपीआई बनाकर इंडिया में डंप करने लगे। उसके बाद, हमारी कंपनियां मरने लगीं। यदि उस वक्त आपने ध्यान दिया होता तो आज की स्थिति मरने की स्थिति नहीं होती। उस वक्त उसको कैसे रोका जाए, ऐसा प्रयास करने की आवश्यकता थी। लेकिन, वह प्रयास नहीं हुआ। इसको करने के लिए हममें से किसी ने ना नहीं कहा। जब मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने इसके लिए हमें मार्गदर्शन दिया। ऐसे कितने एपीआई हैं? आप आइडेंटिफाई कीजिए। कौन-सा ऐसा एपीआई नहीं है और हमारे यहां फॉर्मूलेशन में दिक्कत आ जाए। यह बहुत क्रिटिकल स्थिति हो जाती है। हमारे यहां फॉर्मूलेशन इंडस्ट्रीज है लेकिन उसको

चलाने के लिए, जैसा आपने कहा कि स्टार्टिंग मेटेरियल चाहिए, एपीआई चाहिए और इंटरमीडिएट चाहिए। ये हम बाहर से लाएं और बाहर वाला हमें देना बंद कर दे तो हमारी स्थिति क्या होगा। उसके मद्देनजर हमने उसके ऊपर डीपली काम करना शुरू किया और हमने ऐसे 51 एपीआई आइडेंटिफाई किए। हम 80 परसेंट से ज्यादा एपीआई दुनिया से इम्पोर्ट करते हैं। यदि ये हमारे देश में नहीं आएं और हम नहीं बनाएं तो हमारे देश में कभी भी मेडिसिन की क्राइसिस हो सकती है। इस विषय को लेते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत में 51 एपीआई बनें, उसके लिए हमने 14,000 करोड़ रुपये के सहयोग से पीएलआई वन स्कीम निकाली है। इस स्कीम से क्या हुआ? हमें भारत में एपीआई बनानी है। दुनिया में उसकी क्या वाइबिलिटी गैप फंडिंग है, हम भाषण देंगे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट उसको नहीं बनाएंगे। हम कितनी भी बात करें, लेकिन वह वाइबल होना चाहिए। मतलब हम उसे कब प्रोक्वोर करेंगे, उसको दुनिया के मार्केट के बराबर मार्केट मिले। ऐसे कई एपीआईज हैं, अगर हम उनको अपने यहां मैन्युफैक्चर्स करें, तो दुनिया से लेने में जो खर्च आता है, हमें उससे 20 प्रतिशत कम रेट पर मिल सकता है। हमने ऐसे एपीआई पर 20 प्रतिशत पीएलआई स्कीम के माध्यम से किया है। अगर वे 100 रुपये का बनाते हैं, तो हमने पीएलआई स्कीम में देने के लिए 20 रुपये का प्रावधान किया है। कई ऐसे एपीआई थे, जिनमें 10 प्रतिशत की कमी थी। उस वाइबिलिटी गैप फंडिंग के लिए 10 प्रतिशत की आवश्यकता थी, हमने उसमें 10 प्रतिशत दिया है।

इतना ही नहीं, उसे बनाने के लिए हमें फॉर्म पार्क बनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब एपीआई बनाने की बात होती है, उसमें हेजार्ड्स एम्प्लुएंटेड होता है। उसमें क्लास्टर डेवलपमेंट और पार्क के माध्यम से डेवलपमेंट करना होता है। हमने देश में एक-एक हजार करोड़ रुपये के खर्च से ऐसे चार पार्क बनाने के लिए तय किया है। उसका उपयोग करके हम देश में बल्क एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, हमने यह किया है। अधीर रंजन जी, हमने यह किया है। हम रुके नहीं हैं। हमने यह इसलिए किया है, ताकि देश को भविष्य में ऐसे किसी संकट का सामना न करना पड़े और

देश की जरूरत देश में ही पूरी हो जाए। हमने यह भी किया है, हमने एपीआई, पीएलआई वन स्कीम 14,000 करोड़ रुपये की निकाली है। हम उसके बाद भी नहीं रुके, हमने कहा कि देश में एपीआई का प्रोडक्शन हो, इतना ही नहीं, हमें फॉर्मसी ऑफ द वर्ल्ड बनना है। हमें केवल उत्पादन करके अपनी जरूरत को पूरा करना है, ऐसा नहीं है। हमें अपनी जरूरत पूरी करके एक्सेस होना है और दुनिया के मार्केट में भारत की फॉर्मा इंडस्ट्रीज अपना माल बेच सकें। हम देश और दुनिया को ऑब्लाइज करे सकें, इसलिए हमने 15,000 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम निकाली है। मैंने उसमें एक-एक चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। हम उसके पीछे रातों तक जागे हैं, तब जाकर यह हुआ है। भविष्य में देश कैसे सशक्त हो, कैसे मजबूत हो, हमने यह किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब देश में पैन्डेमिक स्टार्ट हुआ और फर्स्ट लॉकडाउन चल रहा था, जैसा कि आपने मंशन किया है, हमने देखा है कि उस वक्त विकसित देशों की क्या हालत हुई थी। विकसित देशों के पास 15-15 दिन तक एजिथ्रोमाइसिन नहीं थी, हम जिनका हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग मानते हैं। कैसी व्यवस्था हो गई थी। उस स्थिति में हिन्दुस्तान ने 150 देशों में अपनी दवाई उपलब्ध कराई थी। मैं यहां पर उस व्यवस्था को देख रहा था। हमारे यहां प्रतिदिन केवल मेडिसिन लेने के लिए पांच प्लेन आते थे। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। यह देश की उपलब्धि है। यह देश के नागरिकों की उपलब्धि है। हम उसको इस दृष्टि से देखते हैं। हमने कभी इस विषय पर राजनीति करने की कोशिश नहीं की है। व्यवस्था कैसे स्ट्रांग हो, हमने उसकी कोशिश की है। जब भारत में दूसरी वेव आई थी और हमें दिक्कत हुई, तब अमेरिका के राष्ट्रपति को यह कहना पड़ा था कि भारत ने पहली वेव में जो हमारी मदद की थी, उसको अमेरिका कभी नहीं भूल पाएगा। जब हमने जो-जो चीजें मांगी थीं, उस वक्त भी हमें कई चीजों की आवश्यकता थी, हमने वह रिकवॉयरमेंट पूरी की है। हमने यह भी किया है। मैंने कल विस्तृत रूप से रखा था।

मैंने कल भी कहा था कि देश में वैक्सीन मैनुफैक्चरिंग होती है। मैं मानता हूं कि देश में वैक्सीन मैनुफैक्चरिंग होती है। पूरी दुनिया में भारत का वैक्सीन में 60 प्रतिशत शेयर है। हम वैक्सीन मैनुफैक्चर्स करते हैं और उसको दुनिया में बेचते हैं, लेकिन हम रिसर्च में पीछे थे, हम

रिसर्च नहीं कर पाते थे। कोई रिसर्च करता था, वह बाद में पेटेन्ट फ्री हो जाता था या तो हम लाइसेंस लेते थे, तब हम मैनुफैक्चरिंग करते थे। जब पहली वेव चल रही थी, तब हमने इस विषय से बाहर निकलने के लिए चिंतन किया था। तब उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई किया था कि क्यों हमारे यहां रिसर्च नहीं हो रही है। हम फॉर्मा कंपनियों और रिसर्च करने वाली बड़ी कंपनियों के साथ घंटों तक बैठे हैं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है, हम क्या करें, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। हमें कोरोना की वैक्सीन देश में ही बनानी है। सभी कंपनियां काम पर लगीं, भारत सरकार की कंपनियां काम पर लगीं और प्राइवेट कंपनियां भी काम पर लगीं। क्या आवश्यकता है? उन्होंने उस वक्त पहला विषय रखा था, हमने कहा कि यह तुरंत ही करना है। नहीं होगा, हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हमारे रूल्स और रेग्युलेशंस ही ऐसे हैं, हमारा कानून ही ऐसा है, हमारा प्रोसीजर ही ऐसा है। हमें यह करते-करते तीन साल लग जाते हैं। हमने इन सारी व्यवस्थाओं को सरल कर दिया और भारत के वैज्ञानिकों ने नौ महीनों में रिसर्च करके हमें वैक्सीन दे दी।

उसका नतीजा यह निकला है कि आज देश में कोवैक्सीन इंडियन रिसर्च और इंडियन मैनुफैक्चरिंग की बदौलत है। दुनिया 20 सालों से जायकोव-डी डीएनए वैक्सीन पर मेहनत कर रही है, लेकिन डीएनए वैक्सीन को बनाने में सक्सेस नहीं हो पाई है। भारत सरकार के प्रोत्साहन से हमारे देश के साइंटिस्टों ने डीएनए वैक्सीन भी बना दी और उसकी मैनुफैक्चरिंग भी चालू कर दी है। आगामी दिनों में इंडिया में और दो वैक्सीन्स का थर्ड ट्रायल का डेटा सबमिट हो जाएगा। हम अपेक्षा करते हैं कि उसका डेटा और ट्रायल सक्सेसफुल हो, जिससे इंडिया की ही दो कंपनीज़, इंडिया रिसर्च और इंडिया मैनुफैक्चरिंग सक्सेस हो। भारत ने कभी भी दवाइयों को बिजनेस की दृष्टि से नहीं देखा है। हमारी संस्कृति और परम्परा वसुधैव कुटुम्बकम् की रही है। हमने उसे बिजनेस के रूप में बाद में देखा है, पहले उसे सेवा के रूप में देखा है। दुनिया की मदद करना भारत की रीति-नीति और कार्य पद्धति रही है। हमने ऐसा नहीं सोचा कि हमें हमारी जरूरत पूरी करनी है। हमने ऐसा नहीं सोचा कि वैक्सीन ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, हम एक-दो कंपनी बना लें और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। हमने वसुधैव कुटुम्बकम् की दृष्टि से सोचा

है। हमें हमारा भी ख्याल रखना है और दुनिया की भी मदद करनी है। हम तो शुभ-लाभ की संस्कृति वाले लोग हैं। हम लाभ की तो बात करते हैं, लेकिन साथ ही दूसरों के शुभ की भी बात करते हैं। हम दूसरे की भावना को भी समझते हैं और उसकी भी मदद करते हैं। इसलिए आज दुनिया की कंट्रीज हमसे वैक्सीन मांग रही है। अमेरिका और करोबियन कंट्री समूह के 29 राजदूतों ने इकट्ठा होकर मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन चाहिए। मैंने कहा कि हमारे पास वैक्सीन की एक्सेस है और हम आपको एक्सेस वैक्सीन देंगे। मोदी जी ने कहा है कि हमें दुनिया की मदद करनी है। आज दुनिया में भारत की वैक्सीन एक्सपोर्ट होने लगी है। जब पहली बार राज्य सभा में कोविड पर डिस्कशन चल रहा था तो मैंने उस स्थिति को झोला, उस समय ये बोलते थे कि आपने 6 करोड़ वैक्सीन की डोज को एक्सपोर्ट कर दिया। हम एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसकी लाइफ लाइन सैल्फ लाइफ होती है। वह 6 महीने में एक्पायर्ड हो जाती है या 9 महीने में एक्सपायर्ड हो जाती है। यहां पर तो बूम चल रही थी कि यह मोदी वैक्सीन है मत लो, यह बीजेपी की वैक्सीन है। मोदी जी वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे हैं, यह वैक्सीन सही नहीं है। इस तरह से वैक्सीन के लिए इतनी ज्यादा अफवाह फैलाई जा रही थी, जिससे यह स्थिति पैदा हो गई थी कि देश की कंपनियों के पास वैक्सीन तो पड़ी थी, लेकिन जब हम उसको यूज ही नहीं करते थे तो उसका क्या करना था? आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों कर दी, ऐसी बातें हमें झेलनी पड़ी।... (व्यवधान) दादा के राज्य में भी वैक्सीन पड़ी हुई है। आज देश में 20 करोड़ से अधिक डोजेस उपलब्ध हैं।... (व्यवधान) जहां पर जिसको कैंपेन चलाना हो या जनता की मदद करने की भावना हो, वह कर सकता है। हमारी आलोचना होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी के लिए तो जो कहते हैं, वे हर दिन उठकर कहते ही रहते हैं, लेकिन मोदी जी उसका कोई प्रति उत्तर नहीं देते हैं। हम आपको अपने-अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने के लिए नहीं रोकते हैं। वहां पर वैक्सीन्स पड़ी हुई हैं। कृपया करके आप जाइए और अपने क्षेत्र में जोश के साथ मीटिंग कीजिए।... (व्यवधान)

कुंवर दानिशा अली : योगी जी को बोलिए कि हमारे जिले में वैक्सीन भेजे ।... (व्यवधान)

श्री मनसुख मांडविया: आपके जिले में भी वैक्सीन पड़ी हुई है । मैं अधीर रंजन जी की बात में करेक्शन करना चाहता हूँ कि आज देश में एपीआई नहीं, बल्कि मेडिकल डिवाइसेज का 70 परसेंट इंपोर्ट करना पड़ता है । इम्पोर्ट क्यों करना पड़ता है, मैं उस वे में नहीं जा रहा हूँ । अगर पहले हुआ होता तो हमें इतना इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता, कम इम्पोर्ट करना पड़ता । हमारे देश में जब मार्केट बढ़ रहा है, देश में मिडिल क्लास बढ़ रहा है तो देश के प्रधान मंत्री जी ने हेल्थ को डेवलपमेंट के रूप में देखा है । हेल्थ को डेवलपमेंट के एक पार्ट के रूप में देखा । हमें देश को डेवलप करना है और हम हेल्थ को उपेक्षित नहीं कर सकते हैं, इसी विषय को दृष्टिगत रखते हुए आयुष्मान भारत योजना चली । पाँच से छः गांवों के बीच में एक आयुष्मान भारत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर स्थापित किया गया । उसके बाद दस करोड़ फैमिलीज के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना चली । तीसरा, सभी का रिकॉर्ड आपके पास रहे । अगर आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है, क्या ट्रीटमेंट लिया, आपकी रिपोर्ट क्या है, ये सब संग्रहित करके, फाइल लेकर घूमना पड़ता है, तो आप उसका डिजिटल रिकॉर्ड रख सकें, उसे आप डिजिटली लेबोरेटरी से कनेक्ट कर सकें, डिजिटली आप सारी व्यवस्था उपलब्ध करवा सकें, इसके लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चलाया गया ।

चौथा, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से 64 हजार करोड़ रुपये खर्च करके, हर जिले में 100 करोड़ रुपये खर्च करके, वहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया गया है ।... (व्यवधान) अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात पूरी करनी है । अभी मैं प्रारम्भिक स्टेज में पहुंचा हूँ ।... (व्यवधान) मैं शॉर्ट में अपनी बात कहता हूँ । आपको अच्छी इनफार्मेशन मिलेगी, जो सबके लिए उपयोगी भी होगी ।... (व्यवधान) कुल मिलाकर हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़कर मोदी जी ने जो काम करना शुरू किया, उसका अच्छा नतीजा यह निकल रहा है कि अब एक गरीब व्यक्ति भी अच्छा इलाज ले सकता है ।... (व्यवधान) यह सच है तो स्वीकार करना ही पड़ेगा । ।... (व्यवधान) पहले यह बात थी कि गरीब लोगों को ट्रीटमेंट लेने

के लिए कहां जाना है, तो गरीब लोगों को ट्रीटमेंट लेने के लिए सरकारी अस्पताल में जाना है।

...(व्यवधान)

सर, एक समय था कि गरीब लोगों को ट्रीटमेंट लेनी है तो कहां जाना है - सरकारी अस्पताल में। किसी सुखी-समृद्ध को ट्रीटमेंट लेने के लिए कहां जाना है - किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है। प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधाएं होती हैं, लेकिन गरीब लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में जाना होता था। इसलिए सरकारी हॉस्पिटल्स को भी सक्षम बनाना है, जिससे वहां भी बेस्ट लेवल की ट्रीटमेंट मिले और अगर किसी पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है तो गरीब लोगों के लिए भी आयुष्मान भारत योजना के तहत 20 हजार डिसपेंसरीज को आइडेंटिफाईड किया गया है। वहां एक बेड अमीर लोगों का होता है और बगल का एक बेड देश के पिछड़े, गरीब और वंचित लोगों के लिए होता है। जिन गरीब, पिछड़े और वंचित लोगों की दानिश भाई ने बात की, उनके लिए हमने यह काम किया है। उसके लिए जो करना चाहिए, वह हमने किया है। उसको हमने अमीर के बराबर एक दर्जा दिया है और उसके लिए सुविधा दी है। इस तरह से प्रयास है कि देश को उत्तम से उत्तम स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो। एक जज्बा होता है। पहले जब मैं शिपिंग मिनिस्ट्री में था, तब एक एम्बेसडर मुझे मिलने आते थे। एक बार बात-बात में उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे मिलना अच्छा लगता है। तब मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे मिलना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वह अपने काम से आते थे। उन्होंने कहा कि आप एम्बेसडर में चलते हैं, तो मैंने सोचा कि उसमें क्या हो गया। मुझे शिपिंग मिनिस्ट्री ने एम्बेसडर कार एलॉट की थी तो मैं उससे चलता था। मैंने कहा कि मुझे शिपिंग मिनिस्ट्री ने एम्बेसडर कार प्रोवाइड की है, इसलिए मैं उससे चलता हूँ। बाद में उन्होंने कहा कि यह टेक्नोलॉजी हमारी है। इस बात का उसे गौरव होता है। जब हमारी इंडस्ट्रीज दुनिया में वैक्सीन्स सप्लाई करती हैं, अगर हम दुनिया में किसी देश में जाएं और वहां 'मेक इन इंडिया' या 'मेड इन इंडिया' लिखा हो तो हमें गौरव महसूस होगा या नहीं होगा? अध्यक्ष महोदय, देश को गौरव कैसे प्राप्त हो, आपको भी दुनिया में जाने का अवसर मिला होगा, हम भी दुनिया के किसी न किसी कंट्री में जाते हैं, आज कितना बदलाव आया है, इसे आपने प्रत्यक्ष

महसूस किया होगा। आज इंडिया के किसी नागरिक को दुनिया में सिर ऊंचा करके रखने का गौरव मोदी जी ने ही दिया है। यह तो मानना पड़ेगा। ... (व्यवधान) यह मानना ही पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुल मिलाकर इस बिल में चार अमेंडमेंट्स थे, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। स्टैंडिंग कमेटी की जो सिफारिशें मिली थीं, हमने उनमें से कई सिफारिशें मान ली हैं, जो सिफारिश नहीं मानी है, उसे मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है, उनको जब नियम बनेंगे, उनमें हम एड कर सकेंगे। इसलिए कोई ऐसा विषय नहीं था कि हमने उनको नहीं माना है।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : बीसीपीएल के बारे में बताइए।... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): बंगाल के बारे में भी बताइए।... (व्यवधान)

श्री मनसुख मांडविया: मैं बताता हूँ।... (व्यवधान) मैं बता दूंगा, एक बार मेरी रिप्लाइ पूरी हो जाने दीजिए। उसके बाद मैं आपको रिस्पांड भी करूंगा। ... (व्यवधान) दादा, मैं रिस्पांड करूंगा।

बंगाल केमिकल्स में आपने वहां एक 'नाइपर' स्थापित करने की बात की है। मैं चाहता हूँ कि बंगाल कैमिकल्स के पास लैण्ड है, मैं वहां नाइपर को लैण्ड देने जा रहा हूँ। मैं उसमें आपका सहयोग भी मांगूंगा। उसमें थोड़े सहयोग की आवश्यकता है, वह आप मुझे कर दीजिएगा। ... (व्यवधान) वहां उसको कैम्पस मिल जाए, यह भी बहुत जरूरी है। उसका स्ट्रैटजिक सैल है, उसको 100 परसेंट सैल नहीं करना है। उसकी लायबिलिटी है, वह खत्म करनी है। आपकी एम्प्लॉइज की यूनियन है, वह यूनियन मेरे पास आती है। उसको पैसा देना है। उसको स्ट्रैटजिक सैल करके, बंगाल कैमिकल्स का स्ट्रैटजिक सैल करना है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स का भी स्ट्रैटजिक सैल करना है। हमने एडिश्रल पैसा देकर आज तक किसी एम्प्लॉइज को सैलरी के बिना नहीं रखा है। हम जानते हैं और समझते हैं कि उसकी फैमिली उस पर डिपेंड होती है। उसको स्ट्रैटजिक सैल करके, वह अच्छी तरह से कैसे चले, हमें मिलकर इस दिशा में प्रयास करना है।

माननीय अध्यक्ष : जो ये पूछ रहे हैं, इन चीजों से बिल का क्या संबंध है?

... (व्यवधान)

श्री मनसुख मांडविया : अध्यक्ष जी, कोई संबंध नहीं है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने बिल देखा है, इन चीजों से इनका कोई संबंध नहीं है।

... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR) : Would the hon. Minister please clarify the status of Chengalpattu and Kannur vaccination units?

....(Interruptions)

श्री मनसुख मांडविया : मैं आपको रिप्लाई दूंगा।

माननीय अध्यक्ष : वैक्सीन यूनिट से इस बिल का क्या संबंध है? आप क्यों जवाब देंगे?

श्री मनसुख मांडविया : अध्यक्ष महोदय, उसमें सवाल कुछ नहीं है, मैं भला आदमी हूं तो मैं रिप्लाई दे देता हूं, इसलिए मुझसे पूछ लेते हैं। मैं ऐसा भी कह सकता था कि यह बिल का पार्ट नहीं है, लेकिन सीधा आदमी हूं तो जो पूछता है, उसका रिप्लाई दे देता हूं। ... (व्यवधान)

महोदय, चेंगलपट्टू में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करके एक वैक्सीनेशन यूनिट बना रहे थे। उसमें कई कारण थे। उसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया है। हम दो-तीन ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं। मैं हाउस में कहना चाहूंगा कि हम पक्का चालू करेंगे। हमें आवश्यकता होगी तो हम स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग लेंगे। यह नेशन इंस्ट्रैस्ट का काम है, यह मेरा या स्टेट गवर्नमेंट का विषय नहीं है। उसको कैसे करें, यह हम एनालिसिस कर रहे हैं। वह करना है और उसको करेंगे। ... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : What about Kannur?(Interruptions)

श्री मनसुख मांडविया : मुझे कन्नूर का पता नहीं है, मुझे चेंगलपट्टू का पता है और चेंगलपट्टू का करूंगा। वैक्सीन का प्रोडक्शन इण्डिया में हो, यह दुनिया भी चाहती है। क्योंकि वैक्सीन 18

डॉलर, 17 डॉलर और 20 डॉलर की वैक्सीन है, लेकिन इण्डिया की 3-4 डॉलर की वैक्सीन है तो दुनिया को यह सस्ती मिलती है। हम यह कर सकते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल ये चार अमेंडमेंट्स लेकर आया हूँ। सभी लोगों ने मुझे इस पर सहयोग किया है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी उसे यूनेस्को पास करें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

Clause 2 Amendment of long title

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

Page 2, line 4,-

for “certain institutions of pharmaceuticals education
and research”

substitute “all Central Government and State Government
institutions conducting teaching and research in
Allopathy and Ayurveda”. (4)

माननीय अध्यक्ष: अब प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गए।

Clause 6

Amendment of Section 4

Amendment made:

Page 3, after line 20,-

insert

“Provided that one member from amongst members to be nominated under clauses (f), (g) and (h) shall be either from the Scheduled Castes or from the Scheduled Tribes.”.

(1)

(Shri Mansukh Mandaviya)

माननीय अध्यक्ष :श्री एन. के प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 5 और 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 3, line 6,-

after "academician"
insert "in pharmacology". (5)

Page 3, line 12,-

after "technical"
insert "pharmacology". (7)

Sir, my amendment no. 5 is regarding the qualification of the Chairperson who shall be an eminent academician according to the Government. My amendment is 'shall be an eminent academician in pharmacology.' That may be accepted.

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 और 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I beg to move:

Page 3, line 7,-

omit "or technologist". (6)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है

“कि खंड 6, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 10 Amendment of Section 7

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY : Sir, I beg to move:

Page 3, line 37,-

after “leading to”

insert “diploma,”. (8)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वारा खंड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 से 17 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 18 Amendment of Section 16

Amendment made:

Page 4, for lines 35 and 36,-

substitute ‘18. In Section 16 of the principal Act, in sub-section (1), for the words “Director of the Institute shall be appointed by the Board”, the words “Director of each Institute shall be appointed by the Council” shall be substituted.’. (2)

(Shri Mansukh Mandaviya)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 18, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19 से 28 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 29 Insertion of new Chapter II-A

Amendment made:

Page 7, line 25,-

for "every year,"
substitute "every six months". (3)

(Shri Mansukh Mandaviya)

माननीय अध्यक्ष :श्री एन. के प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 से 14 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I would like to give a suggestion regarding the amendments. Two official amendments have been made by the hon. Minister. We do not have a copy thereof. Maybe, they are there in the website or in the portal. It is very difficult to know in the House what the amendment of the hon. Minister is. He is not explaining what his amendment is. We are not aware of what official amendments the Government is moving. So, kindly give a direction to circulate at least the official amendments among the Members. Otherwise, how do we know what the amendments of the Government are, which the hon. Minister is moving? The Government is moving amendments. ... (*Interruptions*)

I do agree that they may be there in the portal, but the net is not available inside the House.

माननीय अध्यक्ष :आपके सुझाव को नोट कर लिया ।

क्या आप अमेंडमेंट्स मूव कर रहे हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving my amendments.

माननीय अध्यक्ष :श्री विनायक राउत जी, क्या आप संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG): Sir, I am not moving my amendment no. 20.

माननीय अध्यक्ष :श्री सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय : सर, मैं संशोधन संख्या 15 मूव नहीं करूंगा ।

माननीय अध्यक्ष :श्री अधीर रंजन चौधरी जी, क्या आप संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move:

Page 7, after line 6,-

insert

“(a) to advise on matters relating to standards and quality of education in the institutes and other matters relating to quality of education”.

(17)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी जी द्वारा खंड 29 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष :श्री विनायक भाउराव राऊत जी, क्या आप संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री विनायक भाउराव राऊत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी भी इस अमेंडमेंट को मानेंगे कि जहां आप नॉमिनेटेड तीन सदस्य ले रहे हैं, उसमें एक सदस्य बढ़ाए और दलित, मागासवर्गीयको सम्मिलित करें, तो अच्छा होगा।... (व्यवधान) मुझे ऑफिशियल अमेंडमेंट की कॉपी नहीं मिली है।

मैं संशोधन संख्या 21 मूव नहीं कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन- उपस्थित नहीं।

श्रीमती अपरूपा पोद्दार - उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 29, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30 से 34 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Schedule

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी जी, क्या आप संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

SHRI MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही मंगलवार, 7 दिसंबर, 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.47 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 7, 2021/Agrahayana 16, 1943 (Saka)

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोकसभा)

बारहवीं बैठक

(23.08.2022)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1615 बजे तक समिति कमरा सं. 3, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

- सभापति

सदस्य

2. प्रो.सौगत राय
3. श्री गौरव गोगोई
4. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
5. श्री चन्द्र शेखर साहू

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. डॉ (श्रीमती) सागरिका दास - निदेशक
3. श्री के.सी. पांडे - उप सचिव

साक्षी

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग)

1. सुश्री एस. अपर्णा, सचिव
2. श्री कमलेश कुमार पंत, अध्यक्ष (एनपीपीए)
3. श्री रजनीश तिंगल, संयुक्त सचिव
4. श्री एन. युवराज, संयुक्त सचिव

5. श्री विनोद कोटवाल, सदस्य सचिव (एनपीपीए)
6. श्री पी. कृष्ण कुमार, निदेशक
7. श्री पवन कुमार, संयुक्त सचिव
8. श्री अभिषेक सिंह, उप सचिव
9. श्री प्रवीण सिंह, उप सचिव
10. डॉ. रिचा पांडेय, उप सचिव
11. श्री एस.यू. अंसारी, अवर सचिव

संसदीय कार्य मंत्रालय

1. श्री पी. के. हलदर - अवर सचिव

सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें अवगत कराया कि यह बैठक (i) 24 लंबित आश्वासनों को छोड़ने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों वाले 20 ज्ञापनों पर विचार करने; और (ii) लंबित आश्वासनों के संबंध में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलायी गई है।

2. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX

3. तत्पश्चात्, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) और संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भीतर बुलाया गया। समिति की बैठक में साक्षियों का स्वागत करते हुए सभापति ने उनका ध्यान सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत होने तक बैठक में हुई चर्चा की गोपनीयता बनाए रखने की तरफ आकर्षित किया। इसके बाद समिति ने लंबित आश्वासनों के संबंध में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। मंत्रालय के बड़ी संख्या में आश्वासनों के लंबे समय से लंबित रहने को ध्यान में रखते हुए सभापति ने प्रतिनिधियों से मंत्रालय के लंबित आश्वासनों के बारे में जानकारी देने को कहा और साथ ही मंत्रालय में लंबित आश्वासनों की निगरानी और समीक्षा संबंधी आंतरिक तंत्र की जानकारी भी मांगी।

4. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के सचिव ने लंबित आश्वासनों के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक के बारे में समिति को जानकारी दी। सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों से लंबित आश्वासनों की निगरानी संबंधी अपनी समीक्षा बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करने को कहा।

5. तत्पश्चात्, सदस्यों ने लंबित आश्वासनों के संबंध में कई प्रश्न पूछे और स्पष्टीकरण मांगे। साक्षियों ने इन प्रश्नों के उत्तर और स्पष्टीकरण भी दिए। चूंकि कुछ प्रश्नों के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विस्तृत उत्तर और जानकारी की आवश्यकता थी, इसलिए सभापति ने इनके संबंध में साक्षियों से समय से लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा।

6. समिति ने पाया कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) द्वारा विभिन्न आश्वासनों पर कार्रवाई पूरा करने के बाद भी सदन में कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलंब हुआ है। समिति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों को निदेश दिया कि वे ऐसे सभी आश्वासनों के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन संसदीय कार्य मंत्रालय के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

7. सभापति ने साक्षियों को समिति के समक्ष साक्ष्य देने और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों और मांगे गए स्पष्टीकरणों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित की गई।

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022), लोकसभा

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से संबंधित लंबित/कार्यान्वित आश्वासनों, जिनपर 23.08.2022 को मौखिक साक्ष्य के दौरान चर्चा की गई, की विवरणी -

क्रम सं	ता सं और दिनांक.प्र.अता/.प्र.	विषय
1.	अता.प्र.सं. 5025 दिनांक 25.04.2013	विटामिनो और शक्तिवर्धक औषधियों का बाजार
2.	अता.प्र.सं. 299 दिनांक 25.11.2014	एपीआई का विनिर्माण
3.	ता.प्र.सं. 205 दिनांक 04.08.2015	भेषज कंपनियों की विपणन पद्धतियां
4.	ता.प्र.सं. 205 दिनांक 04.08.2015 (कुमारी शोभा कारान्दलाजे, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	भेषज कंपनियों की विपणन पद्धतियां
5.	अता.प्र.सं. 235 दिनांक 26.04.2016	मंहगी दवाओं के व्यापार लाभ की सीमा तय करना
6.	अता.प्र.सं. 3383 दिनांक 06.12.2016	अनुचित प्रथाएं
7.	अता.प्र.सं. 743 दिनांक 07.02.2017	भेषज क्षेत्र
8.	अता.प्र.सं. 249 दिनांक 18.07.2017	नई औषधि नीति
9.	अता.प्र.सं. 248 दिनांक 19.11.2019	अनुसंधान और विकास व्यय

10.	ता.प्र.सं. 231 दिनांक 04.02.2020	एनआईपीईआर की स्थापना
11.	अता.प्र.सं. 452 दिनांक 04.02.2020	कर्नाटक में एन .आर.ई.पी.आई.
12.	अता.प्र.सं. 1457 दिनांक 20.09.2020	नई औषधियों का अनुसंधान और विकास
13.	अता.प्र.सं. 2314 दिनांक 09.03.2021	जीवन रक्षक औषधियां
14.	अता.प्र.सं. 3313 दिनांक 16.03.2021	पीयोजना .डी.पी.
15.	अता.प्र.सं. 3567 दिनांक 10.08.2021	चिकित्सा उपकरण पार्क
16.	श्री टी.आर. बालू, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 06.12.2021 को सामान्य चर्चा	राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान विधयेक पर चर्चा (संशोधन)

कार्यवाही सारांश
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
(2022-2023)
(सत्रहवीं लोक सभा)
चौथी बैठक
(07.02.2023)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1530 बजे तक कमरा संख्या 216 (सभापति कक्ष), 'बी' ब्लॉक, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

-

सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चंद चौहान
3. श्री खगेन मुर्मु
4. श्री अशोक महादेवराव नेते
5. श्री संतोष पान्डेय
6. श्री श्री चंद्र शेखर साहू

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. डॉ. (श्रीमती) सागरिका दास - निदेशक
3. श्री महेश चन्द्र गुप्ता - उप सचिव
4. श्रीमती विनीता सचदेव - अवर सचिव

सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें उस दिन की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात्, समिति ने निम्नलिखित चार (04) प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और इन्हें बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया:-

- (एक) 'अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय से संबंधित प्रारूप उनासीवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);
- (दो) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय से संबंधित प्रारूप अस्सीवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);
- (तीन) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किये गये)' विषय से संबंधित प्रारूप इक्यासीवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा); और
- (चार) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)' विषय से संबंधित प्रारूप बयासीवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

2. समिति ने माननीय सभापति को चालू सत्र के दौरान प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति* (2021-2022)

की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

-

सभापति

सदस्य

2. प्रो. सौगत राय**
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री नलीन कुमार कटील
6. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री संतोष पाण्डेय
10. श्री एम.के.राघवन
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
13. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
14. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री जे.एम. वैसाख - संयुक्त सचिव
2. डॉ सागरिका दास - निदेशक
3. श्री कृष्ण सी. पाण्डेय - उप सचिव
4. श्रीमती विनीता सचदेव - अवर सचिव

*समिति का गठन 09 अक्टूबर, 2021 से किया गया है, देखिए दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 3202

**श्री सुदीप बन्दोपाध्याय के दिनांक 01 जून, 2022 को त्याग पत्र देने के कारण समिति में नामनिर्दिष्ट किया गया, देखिए दिनांक 06 जून, 2022 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 4711